## THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES, 1924

Notifi No. L-1182, dated 26th June, 1924.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923), the Governor-General in Council is pleased to make the following rules.—

#### PRELIMINARY

- Short title.—These rules may be called the Workmen's Compensation Rules, 1924.
- 2. Definitions.—In these rules, unless there is anything repugnant in the
  - (a) the "Act" means the Workmen's Compensation Act, 1923;
  - (b) "Form" means a form appended to these rules:
    - (c) "section" means a section of the Act.

#### PARTI

# REVIEW OF HALF-MONTHLY PAYMENTS AND COMMUTATION THEREOF

- 3. When application may be made without medical certificate.—
  Application for review of a half-monthly payment under Section 6 may be made without being accompanied by a medical certificate.—
  - (a) by the employer, on the ground that since the right to compensation was determined the workmen's wages have increased;
  - (b) by the workman, on the ground that since the right to compensation was determined his wages have diminished;
  - (c) by the workman, on the ground that the employer, having commenced to pay compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding the fact that there has been no change in the workmen's condition such as
  - (d) either by the employer or by the workman, on the ground that in the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud or undue influence or other improper means;
  - either by the employer or by the workman, on the ground that in the determination of compensation there is a mistake or error apparent on the face of the record.
- 4. Procedure on application for review.—If, on examining an application for review by an employer in which the reduction of discontinuance of half-reasonable ground for believing that the employer has a right to such reduction or discontinuance, he may at any time issue an order withholding the half-monthly payments in whole or in part pending his decision on the application.
- 5. Procedure on application for commutation.—(1) Where application is made to the Commissioner under Section 7 for the redemption of a right to Commissioner shall form an estimate of the probable duration of the payment, and shall award a sum equivalent to the total of the half-monthly that the disablement will continue, less one-half per cent of that total for each month comprised in that period:

## कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

अधिसूचना सं० ठ-1182, दिनांक 26 जून, 1924.—कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 का (1923 का 7) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सपरिषद् गवर्नर जनरल निम्नलिखित नियम बनाने के लिये इच्छुक हैं :

#### पारम्भिक

- संक्षिप्त नाम. इन नियमों को ''कर्मकार प्रतिकर नियम 1924' पुकारा जा सकेगा।
- 2. परिभाषायें. इन विषयों में यदि विषय या सन्दर्भ में कुछ विरुद्ध नहीं है तौ—
- (क) "अधिनियम" का अभिप्राय "कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1924" होगा;
- (ख) ''प्रारूप''का अभिप्राय इन नियमों में सम्मिलित प्ररूप से होगा;
- (ग) ''धारा''का अभिप्राय अधिनियम की धारा से है।

# अर्द्धमासिक संदायों का पुनर्विलोकन और उनका सारांशीकरण

- 3. चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के बिना आवेदन कब किया जा सकता है. धारा 6 के तहत 3. ाचाकारसाय अनाणान्यत्र का ाचना आवदन कवा कथा जा सकता ह.—धारा ६ क तहत अर्द्धमासिक संदाय के पुनर्विलोकन के लिये आवेदन साथ में चिकित्सीय प्रमाण-पत्र दिये बगैर किया जा
- (क) नियोजूक द्वारा, इस् आधार पर कि जब से प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ कर्मकारों की सकता है—
  - (ख) कर्मकार द्वारा, इस आधार पर कि जबसे प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है उसकी मजदूरी
  - (ग) कर्मकार द्वारा, इस आधार पर कि नियोजन ने प्रतिकर अदा करना प्रारम्भ करके प्रतिकर अदा करना नवनगर आरा, इस आधार पर कि ।नथाजन न आतकर अदा करना ग्रास्म करक प्रतिकर अदा करना बन्द कर दिया है, यह तथ्य होते हुये भी कर्मकार की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जैसे ऐसे
  - (घ) या तो नियोजक या कर्मकार द्वारा, इस आधार पर कि तत्यमय प्रवृत प्रतिकर की दर का निर्धारण कपट अथवा अनुचित प्रभाव अथवा अन्य अनुचित साधनों से किया गया थाः
  - (ङ) नियोजक द्वारा या कर्मकार द्वारा, इस आधार पर कि प्रतिकर के निर्धारण में अभिलेख में प्रत्यक्षत:
  - 4. पुनर्विलोकन के लिये आवेदन पर प्रक्रिया. नियोजक द्वारा पुनर्विलोकन के लिये ओवदन जिसमें 4. पुनावलाकन के लिये आवंदन पर प्राक्रया. —ानयाजक द्वारा पुनावलाकन के लिये आवंदन जिसमें उसने अद्धे मासिक संदाय के बन्द की कमी को चाहा है के परीक्षण करने पर अगर आयुक्त को यह मालूम पड़े कि यह मासिक संदाय के बन्द की कमी को चाहा है के परीक्षण करने पर अगर आयुक्त को अधिकार है तो कि यह विश्वास करने के लिये उचित कारण है कि नियोजक को ऐसी कटौती या बन्द का अधिकार है तो तह अपनेक के प्राचीन के लिये उचित कारण है कि नियोजक को मार्च करा में अपने कर अपनेक के प्राचीन के प् ा. नर । अरवास करने के लिय उचित कारण है कि । नथाअक का एसा कटाता या बन्द का आधकार है ती वह आवेदन के निर्णय के लिम्बत रहते अर्द्धमासिक संदाय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकने का आदेश है सम्बन्ध
  - 5. सारांशीकरण के लिये आवेदन पर प्रक्रिया.—(1) जहां एकमुश्त राशि के संदाय के रूप में अर्डमासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार से छूटकारा के लिये धारा 7 के तहत आयुक्त के पास आवेदन अर्डमासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार से छूटकारा के लिये धारा 7 के तहत आयुक्त के पास आवेदन अर्डमासिक संदाय के अर्डमासिक संदाय के किया गया हो तो आयुक्त निःशकता की सम्भव अविधि को प्राप्तकाल करेगा और सम्भुण अर्डमान से निःशकता किया गया हो तो आयुक्त निःशकता के सम्भव अविधि के लिये देय होगी जब तब उसके अनुमान से निःशकता बराबर राशि अधिनिणीत करेगा जो उस कालाविध के जिल्ला गशि की आधा प्रतिशत कम घटाकर होगी : जारी रहेगी, उस कालाविध के प्रत्येक महीने की कुल राशि की आधा प्रतिशत कम घटाकर होगी :

[42]

|Rules 6-8

Provided that fractions of a rupee included in the sum so computed shall be disregarded.

(2) When, in any case to which sub-rule (1) applies, the Commissioner is (2) When, in any case to which sub-rule (1) applies, the commissioner is unable to form an approximate estimate of the probable duration of the disablement, he may from time to time postpone a decision on the application for a period not exceeding two months at any one time.

#### PART II

### DEPOSIT OF COMPENSATION

- 6. Deposit under Section 8 (1).—(1) An employer depositing compensation with the Commissioner under sub-section (1) of Section 8, in respect of a workman whose injury has resulted in death shall furnish therewith a section of the section of th statement in Form A, and shall be given a receipt in Form B. In other cases of deposits with the Commissioner under sub-section (1) of Section 8, the employer shall furnish a statement in Form AA, and shall be given a receipt in
- (2) If, when depositing compensation in respect of fatal accidents, the employer indicates in the statement referred to in sub-rule (1) that he desires to made a party to the distribution proceedings, the Commissioner shall, before allotting the sum deposited as compensation, afford to the employer an opportunity of establishing that the person to whom he proposes to allot such sum is not a dependent of the deceased workman or, as the case may be, "that

(3) The statement of disbursements to be furnished on application by the employer under sub-section (4) of Section 8 shall be in Form C.

- 7. Publication of list of deposits.—The Commissioner shall cause to be displayed, in a prominent position outside his office, an accurate list of the deposits received by him under sub-section (1) of Section 8, together with the names and addresses of the depositors and of the workmen in respect of whose death or injury the deposits have been made.
- 8. Application by dependents for deposit of compensation.—(1) A dependent of a deceased workman may apply to the Commissioner for the issue of an order to deposit compensation in respect of the death of the workman. Such application shall be made in Form C.
- (2) If compensation has not been deposited, the Commissioner shall dispose of such application in accordance with the provisions of Part V of these

(a) the Commissioner may, at any time before issues are framed, cause notice to be given in such manner as he thinks fit to all or any of the dependants of the deceased workman who have not joined in the application, requiring them, if they desire to join therein, to appear before him on a date specified in this behalf;

(b) any dependent to whom such notice has been given and who fails to appear and to join in the application on the date specified in the notice shall not be permitted thereafter to claim that the employer is liable to deposit compensation unless he satisfies the Commissioner that he was shall not be permitted thereafter to claim that the employer is liable to deposit compensation unless he satisfies the Commissioner that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the case was called on for hearing.

Caneo on for nearing.

(3) If, after completing the enquiry into the application, the Commissioner issues an order requiring the employer to deposit compensation in accordance with sub-section (1) of Section 8, nothing in sub-rule (2) shall be deemed to prohibit the allotment of any part of the sum deposited as compensation to a dependent of the deceased workman who failed to join the application.

नियम 6-8]

परतु इस प्रकार गणना में सम्मिलित रुपये की भिनों की उपेक्षा की जायेगी।

चरपु (2) किसी ऐसे मामले में जिस पर उपनियम (1) लागू होता हो, जब आयुक्त नि:शक्तता की (2) किसा (2) निकार अनुमानित आंकलन करने में असमर्थ रहे तो वह समय-समय पर एक अवधि के अधिक वर्षों से प्रकार साथ एक समय पर दो महीने से अधिक वर्षों से प्रकार समय पर एक अवधि के अधिसम्भाव्य अजाय पर किसमय पर दो महीने से अधिक नहीं हो आवेदन पर निर्णय टाल सकता है।

### प्रतिकर को निक्षिप्त करना

6. धारा 8 (1) के तहत निश्लेषण.—(1) उस कर्मकार के सम्बन्ध में जिसकी चोट मृत्यु का कारण 6. यारा ७ ए । जिस की चाट मृत्यु को कारण कि सम्बन्ध में जिसकी चाट मृत्यु को कारण विशेष की उपधारा (1) के तहत आयुक्त के पास प्रतिकर जमा कराने वाला नियोजन प्रक्रप-क में उसके वर्ती धारा 8 की उपधारा (1) के तहत आयुक्त के पास प्रतिकर जमा कराने वाला नियोजन प्रक्रप-क में उसके बनी धारा है जो अस्तुत करेगा और उसे प्ररूप-ख में एक रसीद प्राप्त होगी। धारा 8 की उपधारा (1) के तहत साथ विवरण प्रस्तुत करेगा और उसे प्ररूप-ख में एक रसीद प्राप्त होगी। धारा 8 की उपधारा (1) के तहत साथ विवरण क्रपुष्प के अन्य मामलों में नियोजक प्रारूप-कक में विवरण देगा और उसे रसीद प्ररूप-ख में आयुक्त के पास निक्षेपण के अन्य मामलों में नियोजक प्रारूप-कक में विवरण देगा और उसे रसीद प्ररूप-ख में

(2) घातक दुर्घटनाओं के बारे में प्रतिकर जमा कराते समय यदि नियोजक उपनियम (1) में दी जायेगी। (2) नारान पुरस्ति के प्रति है कि वह वितरण कार्यवाही में पक्षकार बनने का इच्छुक है तो जमा अल्लाख्या ने प्रतिकर के रूप में आविण्टित करने से पहले आयुक्त नियोजक को यह स्थापित करने का अवसर देगा राशि का आवनार पर किया जाता जा पर विभाग जानुका प्रवास का यह स्थापत करने का अवसर देशों कि वह व्यक्ति जिसको वह ऐसी राशि को आविण्टित करने का प्रस्ताव कर रहा है मृत कर्मकार का आश्रित ाक चर जाता जिसा भी स्थिति हो, और यह कि ''ऐसे व्यक्तियों में कोई आश्रित नहीं है।'' नहीं है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, और यह कि ''ऐसे व्यक्तियों में कोई आश्रित नहीं है।''

(3) धारा 8 की उपधारा (4) के तहत नियोजक द्वारा आवेदन में १५४ जाने वाले संवितरणों का कथन

7. निश्लेपणों की सूची का प्रकाशन. — आयुक्त धारा 8 की उपधारा (1) के तहत उसके द्वारा प्राप्त की गयी निक्षेपणों की सही सूची का निक्षेपकों और उन कर्मकारों के जिनकी मृत्यु या क्षति के बारे में प्रारूप-ग में होगा। प्रतिकर जमा किया गया है के नाम व पता सिंहत अपने कार्यालय के बाहर प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित

8. प्रतिकर जमा करवाने के लिये आश्रितों द्वारा आवेदन —(1) मृत कर्मकार का कोई आश्रित मृत कर्मकार के बारे में प्रतिकर जमा करवाने के लिये आदेश जारी करने के लिये आयुक्त को आवेदन कर सकता करवायेगा।

(2) यदि प्रतिकर जमा नहीं किया गया है तो आयुक्त इन नियमों के भाग-V के उपबन्धों के अनुसार है। ऐसा आवेदन प्ररूप-ग में होगा।

परन्तु (क) विवाधकों के निर्मित होने से पहले किसी समय भी आयुक्त मृत कर्मकार के सभी अप्रितों या उनमें से किसी एक को जो आवेदन में शामिल नहीं है यदि वे उसमें शामिल होने की इच्छा आवेदन का निस्तारण कर देगा : प्रकट करें तो इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट तारीख पर अपने समक्ष उन्हें पेश होने की अपेक्षा करते हुये

(ख) वह कोई आश्रित जिसे ऐसा नोटिस दे दिया गया है और नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को पेश नोटिस दिलवा सकेगा जैसा वह उचित समझे। (ख) यह काइ आश्रित गंगस एसा गाटस द ाद्या गंग है जार गाटस न ावानादष्ट तहाख का पश होने व आवेदन में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो इसके बाद यह दावा करने के लिये अनुजात राग ज आवदन म साम्भालत हान म ायफल रहता र ता इसक बाद यह दावा करन क ालय अनुतात नहीं होगा कि नियोजक प्रतिकर जमा करने का दायी है यदि वह आयुक्त सनुष्ट नहीं कर देता कि जब

(3) आवेदन में जांच पूरी कर लेने के बाद यदि आयुक्त धारा 8 की उपधारा (1) के अनुसार निर्योजक मामले की मुनवाई हुई तो पेश न हो पाने का पर्याप्त कारण था। (3) आवदन म जाच पूरा कर लग क बाद बाद जावुक्त बारा ठ पा उपबात (1) क अनुसार नियाजक को प्रतिकर जमा करने के लिये अपेशा करने वाला आदेश जारी करता है तो उपनियम (2) में कुछ भी मृत नार प्रातकार जमा करन के लिय अपसा करन चाला जादर जारा करता है तो उपानयम (2) में कुछ भी मृत् कर्मकार के आश्रित को जो आवेदन में शामिल होने में विफल रहा प्रतिकर के रूप में जमा की गयी राशि के किसी करा को किसी भाग को आवण्टित करने के लिये रोकने वाला नहीं माना जायेगा।

- 9. Deposit under Section 8 (2).—An employer depositing compensation in accordance with sub-section (2) of Section 8, shall furnish therewith a statement in Form D, and shall be given a receipt in Form E.
- 10. Investment of money.—Money in the hands of Commissioner may be invested for the benefit of the dependents of deceased workman in Government Securities or Post Office Cash Certificates, or may be deposited in a Post Office

#### PART III

#### REPORTS OF ACCIDENTS

- 11. Report of fatal accidents.—The report required by Section 10-B, shall, subject to such rules, if any, as may be made by the State Government, be in Form EE.
- 12. Right of employer to present memorandum when information received.—(1) Any employer who has received information of an accident may at any time, notwithstanding the fact that no claim for compensation has been instituted in respect of such accident, present to the Commissioner a memorandum, supported by an affidavit made by himself or by any person subordinate to him having knowledge of the facts stated in the memorandum, embodying the results of any investigation or enquiry which has been made into the circumstances or cause of the accident. the circumstances or cause of the accident.
- (2) A memorandum presented under sub-rule (1) shall, subject to the payment of such fee as may be prescribed, be recorded by the Commissioner.

#### PART IV

### MEDICAL EXAMINATION

- 13. Workman not to be required to submit to medical examination save in accordance with rules.—A workman who is required by sub-section (1) of Section 11 to submit himself for medical examination shall be bound to do so in accordance with the rules contained in this part and not otherwise.
- 14. Examination when workman and medical practitioner both on premises.—When such workman and medical practitioner both on employer offers to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner who is so present, the workman shall submit himself for examination forthwith.
- 15. Examination in other cases.—In cases to which Rule 14 does not apply, the employer may,
  - (a) send the medical practitioner to the place where the workman is residing for the time being in which case the workman shall submit himself for medical examination on being requested to do so by the medical practitioner, or
  - (b) send to the workman an offer in writing to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, in which case the workman shall submit himself for medical examination at the employer's offer and at such other place in the vicinity as is specified in such
  - (i) the time so specified shall not, save with the express consent of the workman, be between the hours of 7 p.m. and 6 a.m., and
  - in cases where the workman's condition renders it impossible or inadvisable that he should leave the place where he is residing for the examination save at such place.

ह्मम 9—151 9. धारा 8 ( 2 ) के तहत निक्षेपण.—धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार प्रतिकर जमा करने वाला 9. धारा ० ए प्ररूप-घ में एक कथन पेश करेगा और उसे प्ररूप-ङ में एक रसीद दी जायेगी।
हिर्योजन उसके साथ प्ररूप-घ में एक कथन पेश करेगा और उसे प्ररूप-ङ में एक रसीद दी जायेगी।

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

जुक अस्तर का निवेश.—आयुक्त के पा जमा धन मृत कर्मकार के आत्रितों के लाभ के लिये सरकारी 10. धन का निवेश - अस्तुक प्रमाण-पन में नाम किया कर्मकार के आत्रितों के लाभ के लिये सरकारी 10. धन पार्टी के लाभ के लिये सरकारी प्रतिभृतियों अथवा डाक बचत बैंक में जमा किया जा सकेगा, अथवा डाक बचत बैंक में जमा किया जा सकेगा, अथवा डाक बचत बैंक में जमा किया जा सकेगा।

## दुर्घटनाओं की रिपोर्ट

11. घातक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट.—धारा 10-ख द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट, इन नियमों के अधीन, यदि कोई हों, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बनाये जायें, प्ररूप-डङ में होगी।

12. सूचना प्राप्त हो जाने पर ज्ञापन पेश करने का नियोजक का अधिकार.—(1) दुर्घटना की त्रा प्राप्त कर चुका कोई भी नियोजक किसी भी समय, यह तथ्य होते हुये कि ऐसी दुर्घटना के बारे में सुवना आत पार पुरा नहीं किया गया है, आयुक्त को ज्ञापन दे सकता है जो उसके द्वारा अथवा ज्ञापन में कथित प्रातकर के जानकारी रखने वाले उसके सहायक किसी व्यक्ति द्वारा दिये गये हलफनामें से समर्थित होगा और तम्मा । इस ज्ञापन में उस अन्वेषण अथवा जांच जो दुर्घटना की परिस्थितियों एवं कारणों के लिये की गयी थी, के परिणाम होंगे।

(2) उपनियम (1) के तहत पेश किये ज्ञापन को उस संदाय के अधीन जैसा विहित किया जाये व्यापन द्वारा अभिलिखित किया जायेगा।

#### भाग IV

### चिकित्सकीय परीक्षा

13. नियमों के अनुसार के अलावा कर्मकार चिकित्सकीय परीक्षा के लिये पेश किये जाने के लिये अपेक्षित नहीं. — कर्मकार जो धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा चिकित्सीय परोक्षा के लिये पेश त्राच जनातार नहार जनगलार जा बारा ११ जा उनवार ११) ज करा घावाराय नराचा के रहिये नरा होने को अपेक्षित है इस भाग में अन्तर्निहित नियमों के अनुसार ही ऐसा करने को बाध्य होगा और अन्यया

14. कर्मकार और चिकित्सकीय व्यवसायी दोनों के परिसर में होने पर परीक्षा. — जब ऐसा ार जनपार आर । बाकासपाय अवस्तावा बना या भारत व हो। पर परावा व देशा कर्मकार नियोजक के परिसर में उपस्थित हो, और नियोजक उसे अर्हित चिकित्सकीय व्यवसायी जो उपस्थित ...... । नाजनत्त्रन् नारसरः न उनारस्यत् छ।, जार । प्रयोजन उत्त जाल्या विकासकान्य ज्यासान्य । है से उसकी नि:शुल्क चिकित्सकीय परीक्षा कराना चाहे तो कर्मकार तुरन्त परीक्षा के लिये पेश होगा।

- 15. अन्य मामलों में परीक्षा. उन मामलों में जिनमें नियम 14 लागू नहीं होता है, नियोजक-
- उस स्थान पर चिकित्सा व्यवसायी को भेज सकेगा जहां कर्मकार उस समय रह रहा हो और इस र्पार पर ग्याकरसा व्यवसाया का भग सक्तमा ग्रहा कमकार उस समय रह रहा हो जार इस स्थिति में कर्मकार चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परक्षा के लिये निवेदन किये जाने पर अपने को
- (ख) कर्मकार के पास चिकित्सा व्यवसायों द्वारा निःशुक्त चिकित्सकोय परीक्षा करवाने के लिये लिखित प्रस्तान भेज सकेगा, जिस स्थिति में कर्मकार नियोजक के परिसर में अथवा उसके पड़ोस में ऐसे प्रस्तान भेज सकेगा, जिस स्थिति में कर्मकार नियोजक के परिसर में अथवा उसके पड़ोस में ऐसे प्रस्तान भेज सकेगा, जिस स्थिति में कर्मकार नियोजक के परिसर में समय पर जैसा विनिर्दिष्ट हो स्थान पर जैसा कि प्रस्तान में विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसे समय पर जैसा विनिर्दिष्ट हो चिकित्सीय परीक्षा के लिये पेश होगा :

(i) इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय कर्मकार की लिखित सहमित के सिवाय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे

उन मामलों में जिनमें कर्मकार की दशा ऐसी हो जिसमें उसके स्थान जहां फिलहाल वह रह रहा हो, को छोड़ना असम्भव हो या बुद्धिमान न समझा जाये तो वह चिकित्सीय परीक्षा के लिये पेश हो, को छोड़ना असम्भव हो या बुद्धिमान न समझा जाये तो वह चिकित्सीय परीक्षा के लिये पेश होने को इस स्थान के सिवाय अपेक्षित नहीं होगा।

हो।

16. Restriction on number of examinations.—A workman who is in receipt of a half-monthly payment shall not be required to submit himself for medical examination elsewhere than at the place where he is residing for the time being more than twice in the first month following the accident or more than once in

17. Examination after suspension of right to compensation.

workman whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 11, subsequently offers himself for medical examination, his examination shall take place on the employer's premises or at such other place in the vicinity as may be fixed by the employer, and at a time to be fixed by the employer not being, save with the express consent of the workman more than several type hours after the workman has see offer orkman, more than seventy-two hours after the workman has so offered

18. Examination of women.—(1) No woman shall without her consent be medically examined by a male practitioner, save in the presence of another

(2) No woman shall be required to be medically examined by a male practitioner if she deposits a sum sufficient to cover the expenses of examination by a female practitioner.

#### PART V

#### PROCEDURE

19. Introductory.-Save as otherwise provided in these rules, the procedure to be followed by Commissioner in the disposal of cases under the Act or these rules and by the parties in such cases shall be regulated in accordance with the rules contained in this part.

20. Application.—(1) Any application of the nature referred to in Section 22 may be sent to the Commissioner by registered post or may be presented to him or to any of his subordinates authorised by him in this behalf and, if so sent or presented, shall, unless the Commissioner otherwise directs, be made in duplicate in the appropriate Form, if any, and shall be signed by the applicant.

(2) There shall be appended to every such application a certificate, which shall be signed by the applicant, to the effect that the statement of facts contained in the application is to the best of his knowledge and belief accurate.

21. Production of documents.—(1) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application.

(2) Any other document which any party desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing.

(3) Any document which is not produced at or within the time specified in sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, shall not, without the sanction of the Commissioner, be admissible in evidence on behalf of the party who should have produced it.

(4) Nothing in this rule applies to any document which is produced for the purpose of cross-examining a witness or is handed to a witness to refresh his

22. Application presented to wrong Commissioner.—(1) If it appears to the Commissioner on receiving application that it should be presented to another Commissioner, he shall return it to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and designation of the Commissioner to whom it should be presented.

(2) If it appears to the Commissioner at any subsequent stage that an application should have been presented to another Commissioner, he shall inform the applicant and the commissioner empowered to deal with it and shall application under Rule 26, accordingly.

नियम 16-221 परीक्षाओं की संख्या पर निर्बन्धन. —यदि कर्मकार अर्द्धमासिक संदाय प्राप्त कर चुका है तो यह 16. पराक्षाला पत्र भीत के बाद प्रथम महीने में दो बार से अधिक अथवा बाद के किसी महीने में एक से अधिक बार उस बुर्गिया के बाद प्रथम महीने में दो बार से अधिक अथवा बाद के किसी महीने में एक से अधिक बार उस हुर्गटन के बाद प्रथम हुर्गटन के बाद प्रथम मुन पर जहां वह फिलहाल रह रहा है से भिन्न स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षा के लिये पेश होने के लिये मून पर जहां होगा।

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

अपेक्षित नहीं होगा। क्षत नहां एं.... 17. मृतिकर के अधिकार के निलम्बन के बाद परीक्षा.—यदि कोई कर्मकार जिसका प्रतिकर का 17. प्रातकर वा अध्यास (२) अथवा उपधास (३) के तहत निलिप्वत कर दिया गया है बाद में अधिकार भारत के लिये पेश होता है तो उसकी चिकित्सकीय प्रगणि विलास कर दिया गया है बाद में अधिकार धारा ।। जा जा प्राप्त ६०० जानना जनवारा (३) के तहत निर्लाम्बत कर दिया गया है बाद में विकित्सीय परीक्षा के लिये पेश होता है तो उसकी चिकित्सकीय परीक्षा नियोजक के परिसर में या ऐसे स्थान विकित्सीय परीक्षा के लिये पेश होता है तो उसकी चिकित्सकीय परीक्षा नियोजक के परिसर में या ऐसे स्थान विकित्सीय पराक्षा के रास्त्र का राज का ए जा उसका । घोकत्सकीय परीक्षा नियोजक के परिसर में या ऐसे स्थान पर्जिसा नियोजक द्वारा निश्चित किया जाये और कर्मकार की अभिव्यक सहमति के सिवाय ऐसे समय पर जो पर्जिसा नियोजक द्वारा निश्चित किया जाये पर कर्मकार द्वारा अपने को ऐश करने की स्थाप वर जैसा नियाजक अस्ति । स्वास्ति का जान जार कमकार का आभव्यक्त संहर्मित के सिवाय ऐसे समय पर जो वर्ग जैसा निश्चित किया जाये पर कर्मकार द्वारा अपने को पेश करने की पेशकश के बाद बहुतर घण्टों से वियोजक द्वारा निश्चित किया जाये पर कर्मकार द्वारा अपने को पेश करने की पेशकश के बाद बहुतर घण्टों से

क नहां एत. 18. महिलाओं का परीक्षण.—(1) किसी भी महिला की उसकी सहमति के बगैर अन्य महिला की अधिक नहीं हो। 18. मारुपा जा नाहला का उसका सहमति इपस्थिति के सिवाय पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा नहीं की जायेगी।

उद्यास्थात का राज्या है. (2) किसी भी महिला को पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा के लिये अपेक्षित नहीं किया (2) किसी भी महिला को पुरुष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षा के खर्चों के लिये पर्याप्त जोयेगा यदि वह इतनी राशि जमा कर देती है जो किसी महिला व्यवसायी द्वारा परीक्षा के खर्चों के लिये पर्याप्त

### भाग V

### पकिया

19. परिचयः — जैसा इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाय, अधिनियम अथवा नियमों के तहत मामलों का निस्तारण करने के लिये आयुक्त द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा अपनायों जाने वाली तहत नानसा ना प्रतिहत नियमों के अनुसार अधिनियमित की जायेगी। प्रक्रिया इस भाग में निहित नियमों के अनुसार अधिनियमित की जायेगी।

20. आवेदन.—(1) धारा 22 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई आवेदन आयुक्त के पास पंजीकृत डाक द्वारा थेजा जा सकता है अथवा उसके पास पेश किया जा सकता है अथवा इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत नजा जा जाना है जिस को दिया जा सकता है और इस प्रकार भेजा गया था या पेश किया गया आवेदन यदि आयुक्त किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है और इस प्रकार भेजा गया था या पेश किया गया आवेदन यदि आयुक्त क्का ना स्पान पर विश्व जा सकता है जार इस प्रकार की गया था या पश किया गया आवर्द याद आयुक्त अन्यथा निर्देशित नहीं करता उपयुक्त प्ररूप में दो प्रतियों में बनाया जायेगा, यदि प्ररूप कोई हो तो, और

(2) प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित इस बाबत एक प्रमाण-पत्र होगा कि आवेदन में आवेदक द्वारा हस्तक्षरित किया जायेगा। विहित तथ्यों का कथन उसके सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास में सही है।

21. दस्तावेज का पेश किया जाना.—(1) जब राहत के लिये आवेदन दस्तावेज पर आधारित हो तो (2) कोई अन्य दस्तावेज जो कोई पक्षकार साध्य के रूप े पेश करना चाहे पहली सुनवाई के दौरान दस्तावेज आवेदन के साथ नत्थी किया जायेगा।

(3) कोई भी दस्तावेज जिसे उपनियम (1) अथवा उपनियम (2), जैसी भी स्थिति हों, में विनिर्दिष्ट (उ) पगर मा दस्तावज जिस उपानयम (1) अथवा उभानयम (2), जला मा स्वात का मायानाव समय पर या समय में पेश नहीं किया जाता है तो वो आयुक्त की स्वीकृति के बिना पक्षकार के साध्य में

स्वीकार्य नहीं होगा जिसे यह पेश करना चाहिये था।

(4) इस नियम में कुछ भी किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होता जो गवाह की प्रतिपरीक्षा के उद्देश्य से पेश किया गया हो या गवाह को उसकी याददाश्त ताजा करने के लिये दे दिया गया हो।

22. गलत आयुक्त को पेश आवेदन.—(1) आवेदन प्राप्त करते यदि आयुक्त को यह लगता है कि वह किसी और आयुक्त को पेश किया जाना चाहिये था तो वह उस पर पेश होने एवं वापस करने की तारीख, जान किसी और आयुक्त को पेश किया जाना चाहिये था तो वह उस पर पेश होने एवं वापस करने के उत्पाद किसी और आयुक्त को पेश किया जाना चाहिये था तो वह उस पर पेश होने एवं वापस करने के आवेटक के जान पर किस आर आयुक्त को पेश किया जाने चाहिय था ता वह उस पर पर हान एवं वापस करने का ताराख, वापस करने का कारण और उस आयुक्त का नाम जिसको यह भेजा जाना चाहिये पृष्ठांकित कर आवेदक के पास वाप्पप्र केलेजा

(2) यदि वाद में किसी प्रक्रम पर आयुक्त को यह महसूस हो कि आवंदन किसी अन्य आयुक्त को भेजा
(2) यदि वाद में किसी प्रक्रम पर आयुक्त को यह महसूस हो कि आवंदन किसी अन्य आयुक्त को पह जाना चाहिये था तो वह उस आयुक्त को यह आवंदन भेज देगा जो इसकी सुनवाई करने के लिये शक्ति प्रक्रा कर लो और आवंदक को (और विरोधी पक्ष को, यदि उसने नियम 26 के तहत आवंदन की एक प्रति प्राप्त कर लो है), तदनसम्प्र क्रिकार के प्रक्रिक को स्वाप्त कर लो हो।

है), तद्नुसार सूचित करेगा।

- 23. Examination of applicant.—(1) On receiving application of the nature referred to in Section 22, the Commissioner may examine the application on oath, or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witnesses and forward the record thereof to the Commissioner.
- (2) The substance of any examination made under sub-rule (1), shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in Section 25.
- 24. Summary dismissal of application.—(1) The Commissioner may, after considering the application and the result of any examination of the applicant under Rule 23, summarily dismiss the application, if, for reasons to be recorded, he is of opinion that there are no sufficient grounds for proceeding
- (2) The dismissal of the application under sub-rule (1) shall not of itself preclude the applicant from presenting a fresh application for the settlement of the same matter.
- 25. Preliminary inquiry into application.—If the application is not dismissed under Rule 24, the Commissioner may, for reasons to be recorded, call upon the applicant to produce evidence in support of the application before calling upon any other party, and, if upon considering such evidence the Commissioner is of opinion that there is no case for the relief claimed, he may dismiss the application with a brief statement of his reasons for so doing.
- 26. Notice to opposite party.—If the Commissioner does not dismiss the application under Rule 24 or Rule 25, he shall send to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the opposite-party) a copy of the application, together with a notice of the date on which he will dispose of the application, and may call upon the parties to produce upon that date any evidence which they may wish to tender.
- 27. Appearance and examination of opposite party.—(1) The opposite party may, and if so required by the Commissioner, shall, at or before the first hearing or within such time as the Commissioner may permit, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form a part of the record.
- (2) If the opposite party contests the claim, the Commissioner may, and, if no written statement has been filed, shall proceed to examine him upon the claim and shall reduce the result of examination to writing.
- 28. Framing of issues.—(1) After considering any written statement and the result of any examination of the parties, the Commissioner shall ascertain on there-upon proceed to frame and record the issues upon which the right decision of the case appears to him to depend.
- (2) In recording the issues, the Commissioner shall distinguish between those issues which in his opinion concern points of facts and those which
- 29. Power to postpone trial of issues of facts where issues of law arise.—
  When issues both of law and of fact arise in the same case, and the law only, he may try those issues first, and for that purpose may, if he thinks have been determined.

वह आयुक्त जिसको उपनियम (2) के तहत आवेदन अन्तरित किया गया है कार्यवाहियां उसी (3) वह आयुष्ण जिल्ला जानिया (2) के तहत आवेदन अन्तरित किया गया है कार्यवाहियां उसी ति ति या सानी पूर्व की कार्यवाहियां अथवा उनमें से कोई कार्यवाही उसके समक्ष की गयो हो यदि कि हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं होगा। प्रकार जारा रखना है कि पक्षकारों के हित पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं होगा। वह सन्तुष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं होगा।

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

कह मत्युष्ट हा जाता व वह मत्युष्ट हा जाता व 23. आवेदक को परीक्षा.—(1) धारा 22 में उल्लिखित प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद अवुक्त आवेदक की संशापध परीक्षा ले सकता है, अथवा आवेदन को इस मध्यन्थ में राज्य सरकार द्वारा अपुक्त किसी अफसर के पास भेज सकता है और ऐसे अफसर को आवेदक की व उसके गवाहों की परीक्षा प्रिकृत किसी अफसर के और अभिलेख को आयुक्त के पास भेजने का निर्देश दे सकता है। तो का निर्देश दे सकता है और अभिलेख को आयुक्त के पास भेजने का निर्देश दे सकता है।

का गप्परा (2) उपनियम (1) के तहत की गयी किसी परीक्षा का सार उसी तरीके से अभिलिखित किया जायेगा (2) असी धारा 25 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिये उपबन्ध किया गया है।

24. आवेदन का संक्षिम रूप में खारिज होना.—(1) आयुक्त आवेदन पर व नियम 23 के तहत 24. आवधा न परिवास पर विचार करने के बाद आवेदन को, यदि वह उन कारणों की ववह आवेदन की किसी परीक्षा के परिणाम पर विचार करने के बाद आवेदन को, यदि वह उन कारणों की ववह आवेदक का किसा नरामा न नरामा नरा अभार फरा क बाद आवदन का, यदि वह उन कारण को वजह भी की अभिलिखित किये जायें इस विचार पर पहुंचता है कि उस पर कार्यवाही आगे करने के कोई पर्याद से जी अभिलिखित किये जायें इस विचार पर सहस्वा है। स जा जा गरिएक स्थापन पर पहुँ । आधार नहीं है संक्षिप्त रूप में खारिज कर सकता है।

(2) उपनियम् (1) के तहत आवेदन की खारिजी को उसी मामले के निपटारे के लिये नया आवेदन

25. आवेदन में प्रारम्भिक जांच. —यदि नियम 24 के तहत किसी आवेदन को खारिज नहीं किया पेश करने से नहीं रोकेगा। 25. आयदा न प्राप्त जाय जाय नाप गमन 24 क तहत किसा आवटन को खारज नहीं किया गया हो तो आयुक्त उन कारणों की वजह से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी अन्य पक्षकार को बुलाने से ज्या हो ता आयुक्त उन कारणा का वगर स जा आमालाखत किय जायग किसा अन्य पक्षकार का बुताने से पहले आवेदक को आवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये बुला सकता है, और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद यदि आयुक्त की राय बनती है कि दावा की गयी राहत के लिये मामला नहीं बनता तो विवार चार प्राप्त प्राप्त प्राप्त का उपने के अपने कि जिसमें वह इसके कारणों का संक्षित कथन करेगा। वह आवेदन को खारिज कर सकता है जिसमें वह इसके कारणों का संक्षित कथन करेगा।

26. विरोधी पक्षकार को नोटिस. —यदि नियम 24 या नियम 25 के तहत आवेदन खारिज नहीं 20. विराया पद्मकार का नाटिस. — याद १७५५ २४ वालविष 25 के गहत आवेदन खास्य नहीं किया जाता तो आयुक्त की एक प्रति उस तारीख के नेटिस सहित जिस तारीख को वह आवेदन का निस्तारण करेगा उस पक्षकार (यह इसके बाद विरोधी पक्षकार के रूप में उल्लिखित है) के पास भेजेगा जिससे आवेदक करणा उस नवाकार र तर रसक बाद ायराचा प्रवकार क रूप न उल्लाखत रू) के पार मजगा जिससे आवरक सहित का दावा कर रहा है और पक्षकारों को उस तारीख पर किसी साध्य को पेश करने के लिये कहेगा जो वे

27. विरोधी पक्षकार की पेशी एवं परीक्षा —(1) विरोधी पक्षकार प्रथम सुनवाई के पहले या उस 27. प्रपाला पदालार का परा। एवं प्राताः (17) प्राची प्रकार अपन सुनवह के पहले के उत् समय में जैसी आयुक्त अनुमति दे आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित लिखित कथन दाया कर सकता है. पेश करना चाहें। पुत्र व जारा जानुषा जनुमात प जावदन मनका गय पाव स सम्बन्धा लाखा कावन प्राप्त कावत है। और यदि आयुक्त द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो लिखित कथन दायर करेगा और ऐसा कोई भी लिखित कथन

(2) यदि विरोधी पक्षकार दावे का विरोध करता है तो आयुक्त दावे पर उसकी परीक्षा लेने के लिये कार्यवाही कर सकता है, और यदि कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो कार्यवाही करेगा और प्रतिक्षा के प्रतिक्षाप को विरोध

28. विवासकों की विरचना.—(1) किसी लिखित कथन और पक्षकारों को किसी परीक्षा के परिणाम पर विचार करने के बाद आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर पक्षारों में प्रतिचार करने के बाद आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर पक्षारों में प्रतिचार करने के बाद आयुक्त यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर प्रधाने का उपने निर्णाय परीक्षा के परिणाम को लिखेगा। नर ।वचार करने के बाद आयुक्त यह सुनिश्चत करंगा कि तथ्य अथवा विश्व के किस अतिपादन पर पक्षार म मतभेद है और तदुपरान्त उन विवाद्यकों को विर्ताचत एवं अभिलिखित करेगा जिस पर मामले का सही निर्णय निर्धार करना है

(2) विवाद्यकों को अभिलिखित करने में आयुक्त उन विवाद्यकों जो उसकी राय में तथ्यों से सम्बन्धित है और उन विवाद्यकों जो विधि बिन्दुओं से सम्बन्धित है में फर्क करेगा।

29. विवाद्यकों के विचारण के स्थान की शक्ति जहां विधि विवाद्यक पैदा होते हों. 29. विवासकों के विचारण के स्थान की शांक जहां विधि विवासक पदा होते ही. — जहीं एक ही मामले में तथ्य के विवासक एवं विधि के विवासक पैदा हो और आयुक्त की यह राय हो कि मामले का निस्तारण केवल विधि के विवासकों के आधार पर हो सकता है तो वह उन विवासकों का पहले विचारण कितारण केवल विधि के विवासकों के आधार पर हो सकता है तो वह उन विवासकों को तब तक स्थागित रख सकता करेगा और उस उन्हें पर के विवासकों को तब तक स्थागित रख सकता करेगा और उस उन्हें पर वह उच्चित समझे तथ्य के विवासकों को तब तक स्थागित रख सकता करणारण केवल विधि के विवादकों के आधार पर हा सकता ह ता वह उन विवादकों का पहला विधारण करेगा और उस उद्देश्य के लिये, अगर वह उचित समझे, तथ्य के विवादकों को तब तक स्थिगित रख सकता है जब तक कि निर्धाः त जार उस उद्दश्य के लिय, अगर वह जनत सनस्य है जब तक कि विधि के विवाधकों का निर्धारण नहीं हो जाता।

- **30. Diary.**—The Commissioner shall maintain under his hand a brief diary of the proceedings on an application.
- 31. Reasons for postponement to be recorded.—If the Commissioner finds it impossible to dispose of an application at one hearing, he shall record the reasons which necessitate a postponement.
- **32. Judgment.**—(1) The Commissioner, in passing orders, shall record concisely a judgment, his finding on each of the issues framed and his reasons for such finding.
- (2) The Commissioner, at the time of signing and dating his judgment, shall pronounce his decision, and thereafter no addition or alteration shall be made to the judgment other than the correction of a clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission.
- 33. Summoning of witnesses.—If an application is presented by any party to the proceedings for the citation of witnesses, the Commissioner shall, on payment of the prescribed expenses, and fees, issue summons for the appearance of such witnesses, unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.
- 34. Exemption from payment of costs.—If the Commissioner is satisfied 34. Exemption from payment of costs.—If the Commissioner is satisfied that the applicant is unable, by reason of poverty, to pay the prescribed fees, he may remit any or all of such fees. If the case is decided in favour of the applicant, the prescribed fees which, had they not been remitted, would have been due to be paid, may be added to the costs of the case and recovered in such manner as the Commissioner in his order regarding costs may direct.
- 35. Right of entry for local inspection.—A Commissioner before whom any proceeding relating to an injury by accident is pending may at any time enter the place where the workman was injured, or where the workman ordinarily performed his work, for the purpose of making a local inspection or of examining any person likely to be able to give information relevant to the proceedings:

Provided that the Commissioner shall not enter any premises of any industrial establishment, except during the ordinary working hours of that establishment, save with the permission of the employer or of some person directly responsible to him for the management of the establishment.

- 36. Procedure in connection with local inspection.—(1) If the Commissioner proposes to conduct a local inspection with a view to examining on the spot the circumstances in which an accident took place, he shall give the parties or their representatives notice of his intention to conduct such inspection, unless in his opinion the urgency of the case renders the giving of such notice impracticable.
- (2) Such notice map be given orally or in writing, and in the case of an employer, may be given to any person upon whom notice of a claim can be served under sub-section (2) of Section 10, or the representative of any such
- (3) Any party, or the representative of any party, may accompany the Commissioner at a local inspection.
- (4) The Commissioner, after making a local inspection, shall note briefly in a memorandum any facts observed, and shall show the memorandum to any party who desires to see the same, and, on payment of the prescribed fee, shall supply any party with a copy thereof.
  - (5) The memorandum shall form part of the record
- **37. Power of summary examination.**—(1) The Commissioner during a local inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before him, may examine summarily any person likely to be able to give

नियम 30—371 कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924 30. डायरी. — आयुक्त आवेदन पर की गयी कार्यवाहियों की एक डायरी रखेगा जो खुद लिखेगा।

30. उसमान के कारण अभिलिखित होंगे.—यदि आयुक्त किसी आवेदन का निस्तारण एक ही सुनवाई मुनवाई मुंगी करना सम्भव नहीं पाता तो वह उन कारणों को अभिलिखित करेगा वो स्थगन को आवश्यक कर रहे 岩

- है।
  32. निर्णाय.—(1) आदेश पारित करने में आयुक्त संक्षिप्त रूप से निर्णय और विराचित विवादाकों के पूर्वोक्त विवादाकों के पूर्वोक्त विवादाकों के अपने निष्कर्ष की एवं अपने निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- (2) हस्ताक्षर करते समय एवं निर्णय पर तारीख डालते समय आयुक्त अपने निर्णय को सुनायेगा, और उसके बाद किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न क्लेरिकल अथवा गणितीय गलती को सुनायेगा, और उसके बाप निर्णाय में कुछ भी जोड़ा या परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 33. गवाहों को बुलाना.—यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा गवाहों को बुलाने के लिये अवेदन करता है तो आयुक्त विहित खर्चों एवं फीस अदा होने पर ऐसे गवाहों को बुलाने के लिये सम्मन जारी करेगा यदि वह यह विचार नहीं करे कि उनकी उपस्थिति मामले के सही निर्णय के लिये आवश्यक नहीं
- 34. खर्जी के संदाय से छूट. यदि आयुक्त सनुष्ट हो जाता है कि गरीबी के कारण आवेदक विहित कीस अदा करने में असमर्थ है तो वह किसी फीस अथवा सभी फीसों से छुटकारा दे सकता है। यदि मामले फास अदा करने न जानान र पा नर जिला कास जयवा सभा फासा से छुटकारा दे सकता है। यदि पापले का निर्णय आवेदक के पक्ष में हो जाता है तो विहित फीस को जिसे माफ नहीं किया गया होता तो अदा करने का निर्णय आपर्यक के नुस्त न है। जारी हुन्ता निर्ह्ण जीत जा जिस मान नहां किया गया होती तो अदी करने के लिये देय होती, मामले के खर्चे में जोड़ा जा सकता है और उस तरीके से वसूला जा सकता है जैसा आयुक्त के लिये देय होती, मामले के खर्चे में जोड़ा जा सकता है और उस तरीके से वसूला जा सकता है जैसा आयुक्त खर्चे सम्बन्धी अपने आदेश में निर्देशित करे।

35. स्थानीय निरीक्षण के लिये प्रवेश करने का अधिकार.—आयुक्त जिसके समक्ष दुर्घटना द्वारा हुवी क्षिति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही लिम्बत हो, स्थानीय निरीक्षण करने के लिये अथवा कार्यवाहियों से हुवी क्षिति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही लिम्बत हो, स्थानीय तर्यवा में कभी भी प्रवेश कर सकता है सम्बन्धित सूचना देने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिये उस स्थान में कभी भी प्रवेश कर सकता है जहां कर्मकार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अथवा जहां साधारण तौर पर कर्मकार कार्य करता था

परन्तु आयुक्त नियोजक अथवा स्थापन के प्रबन्धन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी किसी व्यक्ति की अनुमित् के सिवाय उस स्थान के सामान्य कार्य समय के दौरान को छोड़कर किसी औद्योगिक स्थापन के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

- 36. स्थानीय निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया.—(1) यदि आयुक्त उन परिस्थितियों को जिनमें दुर्घटना घटी थीं घटनास्थल पर जांच करने को दृष्टि से स्थानीय निरीक्षण करने के लिये प्रस्ताव रखे तो वह ऐसा निरीक्षण करने के अपने आशय का नोटिस पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, यदि उसकी राय में स्थानीय करने के अपने आशय का नोटिस पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, यदि उसकी राय में मामले की आवश्यकता इस प्रकार के नोटिस की असाध्य न बना दे।
- (2) इस प्रकार नेटिस मौखिक या लिखित दिया जा सकता है, और नियोजक के मामले में, उस किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिस पर धारा 10 को उपधारा (2) के तहत दावे का नेटिस तामील किया जा सकता है। जा सकता है, अथवा उसे ऐसे व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि को दिया जा सकता है।
- (3) स्थानीय निरीक्षण में कोई भी पक्षकार, अथवा किसी पक्षकार का प्रतिनिध आयुक्त के साथ जा
- (4) स्थानीय निरीक्षण करने के बाद आयुक्त ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से नजर में आये तथ्यों को लिखेगा और उस किसी पक्षकार को दिखायेगा जो देखना चाहे, और विहित की देने के बाद, उसकी प्रति किसी भी पक्षकार को देगा।
- 37. संक्षिप्त परिक्षा की हिस्सा होगा।

  37. संक्षिप्त परिक्षा की शक्ति.—(1) आयुक्त उसके समक्ष लिखत किसी मामले की औपचारिक का संक्षित परिक्षा की शक्ति.—(1) आयुक्त उसके समय किसी भी व्यक्ति का संक्षित सुनवाई के समय के सिवाय स्थानीय निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी मानून पड़ता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति परिक्षण कर सकता है जो ऐसे मामले से सम्बन्धित सूचना देने में समर्थ मालूम पड़ता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति परिक्षण कर सकता है जो ऐसे मामले से सम्बन्धित सूचना देने में समर्थ मालूम पड़ता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति

information relating to such case, whether such person has been or is to be called as a witness in the case or not, and whether any or all of the parties are

(2) No oath shall be administered to a person examined under sub-rule (1).

(2) No oath shall be administered to a person examined under sub-rule (1), (3) Statements made by persons examined under sub-rule (1), if reduced to writing, shall not be signed by the person making the statement, nor shall they, except as hereinafter provided, be incorporated in the record or utilised by the Commissioner for the purpose of arriving at a decision in the case.

(4) If a witness who has been examined under sub-rule (1) makes in evidence any material statement contradicting any statement made by him in such examination and reduced to writing, the Commissioner may call his attention to such statement, and shall in that case direct that the parties be furnished with the relevant part of such statement for the purpose of examining or cross-examining the witness.

(5) Any statement on part of a statement which is furnished to the parties

(5) Any statement on part of a statement which is furnished to the parties under sub-rule (4) shall be incorporated in the record.

(6) Where a case is settled by agreement between the parties, the Commissioner may incorporate in the record any statement made under sub-rule (1) and may utilise such statement for the purpose of justifying his acceptance of, or refusal to accept, the agreement reached.

38. Agreement to abide by Commissioner's decision.—(1) If a party states in writing his willingness to abide by the decision of the Commissioner, the Commissioner shall inquire whether the other party is willing to abide by his

(2) If the other party agrees to abide by the Commissioner's decision, the fact of his agreement shall be recorded in writing and signed him.

(3) If the other party does not agree to abide by the Commissioner's decision, the first party shall not remain under an obligation so to abide.

39. Procedure where indemnity claimed under Section 12 (2).—(1) Where the opposite party claims that if compensation is received against him he will be entitled under sub-section (2) of Section 12 to be indemnified by a person not being a party to the case, he shall, when first called upon to answer the application, present a notice of such claim to the Commissioner accompanied by the prescribed fee, and the Commissioner shall thereupon issue notice to such person in Form J.I. by the prescribed fee, and the Commissioner shall thereupon issue notice to such person in Form JJ.

such person in Form JJ.

(2) If any person served with a notice under sub-section (1) desires to contest the applicant's claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, he shall appear before the Commissioner on the date fixed for the hearing of the case or on any date to which the case may be adjourned and, if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings; in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and to admit his own liability to indemnify the opposite party for any compensation recovered from him:

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Commissioner that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Commissioner shall, after giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person, and may set aside or vary any award made against such person under this rules and upon such terms as may be just.

(3) If any person served with notice under sub-rule (1), whether are not be

(3) If any person served with notice under sub-rule (1), whether or not he desires to contest the applicant's claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, claims that being a contractor he is himself a principal and is entitled to be indemnified by a person standing to him in the relation to a contractor from whom the workman could have recovered compensation, he shall on or before the date fixed in the notice under sub-rule (1) present a

नियम 38—391 

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

त है। ' (2) इपनियम (1) के तहत परीक्षा लिये जाने वाले व्यक्ति को संशपथ नहीं दिलायी जायेगी। होयान हो।

(2) इंग तरान्य नहा दिलाया जायगा। (3) उपनियम (1) के तहत परीक्षा लिये गये व्यक्तियों द्वारा किये गये कथन, यदि लिखे गये हों, कथन (3) उपानयम (1) न प्राच्या राज्या त्याचा पाय व्यक्तिया द्वारा किये गये कथन, यदि लिखे गये हों, कथन कर्त वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे न ही यहां इसके बाद जैसा दिया गया है के सिवाय उनकी कर्त वाले व्यक्ति प्राच्या आथवा मामले में निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य के विकास व्यक्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तावास्त नहा हाग न हा यहाँ इसके बाद जैसा दिया गया है के सिवाय करने वाले व्यक्ति द्वारा जायेगा अथवा मामले में निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य के लिये प्रयोग किया जायेगा।

लखन प्राप्त कोई गवाह जिसकी उपनियम (1) के तहत परीक्षा लो गयी है साक्ष्य में कोई सारवान कथन (4) अर्थ स्वीक्षा में उसके दाग किये गये और जिल्ले गये उसके दें हैं सारवान कथन (4) खाद काइ गवाह जिसका ज्यानवम (1) के तहत परीक्षा ली गयी है साध्य में कोई सारवान कथन है जो ऐसी परीक्षा में उसके द्वारा किये गये और लिखे गये कथन से विरोधात्मक हो तो आयुक्त उसका करता के कथन की ओर दिला सकता है और उस स्थिति में निर्देश ने मन्द्रज है है करता है जो एसा परावा न उत्तवन प्राप्त किय गय आर लिख गय कथन से विरोधात्मक हो तो आयुक्त उसका करता है से कथन की ओर दिला सकता है और उस स्थिति में निर्देश दे सकता है कि गवाह को परीक्षा अथवा ध्यान ऐसे कथन की अरेहण्य से ऐसे कथन के ससंगत भाग पक्षकारों को हे निका नारे। ध्यान ऐस कथन के उद्देश्य से ऐसे कथन के सुसंगत भाग पक्षकारों को दे दिया जाये।

(5) कोई कथन अथवा कथन का हिस्सा जो उपनियम (4) के तहत पक्षकारों को दिया गया है अभिलेखन में सम्मिलित किया जायेगा।

आभलखन न का (6) जहां कोई मामला पक्षकारों के मध्य करार द्वारा निपटा लिया गया हो तो आयुकत उपनियम (1) के (6) जहां कोई मामला पक्षकारों के मध्ये करार को स्वीकार तहते किये गये किसी भी कथन को अभिलेखन में सम्मिलित कर सकता है और किये गये करार को स्वीकार तहते किये गये किसी अपने में दे कमा अपने को जाणोचित्र तहत किय गय नकता ना करना ना स्थानसम्बद्धान न साम्मालत कर सकता ह आर किय गये करार को स्वीकार करने, को न्यायीचित उहराने के इन्कार करने, को न्यायोचित उहराने के उद्देश्य से ऐसे कथन का प्रयोग कर करने,

सक्ता है ... 38. आयुक्त के निर्णय को मानने का करार.—(1) यदि कोई पक्षकार आयुक्त के निर्णय को मानने के लिये अपनी इच्छा लिखित रूप में व्यक्त करता है तो आयुक्त इसकी जांच करेगा कि क्या पक्षकार निर्णय

(2) यदि अन्य पक्षकार आयुक्त के निर्णय को मातने के लिये सहमत होता है तो उसके करार का तथ्य मानने का इच्छुक है।

(2) बाद जान नवानार आनुसन्तर रागन का नावन वा हाराव स लिखित अभिलेखित किया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा। (3) यदि अन्य पक्षकार आयुक्त के निर्णय को मानने के लिए सहमत नहीं होता है तो प्रथम पहकार

39. प्रक्रिया जहां धारा 12 (2) के तहत क्षितिपूर्ति का दावा किया गया हो. —(1) जहां विरोधी निर्णय मानने के लिये बाध्य नहीं रहेगा। उन्न. प्राक्रम्या प्रहा थारा 12 (2) के तहत श्वातपूत का दावा किया गया हा.—(1) जहां विरोधी पक्ष यह दावा करता है कि यदि प्रतिकर उसके विरुद्ध वसूला गया तो वह भरा 12 की उपधारा (2) के तहत ऐसे यक्ति द्वारा श्वतिपूर्ति का हकदार होगा जो मामले का प्रक्षकार नहीं है तो आवेदन का प्रथम बार उत्तर देने ऐसे यक्ति द्वारा श्वतिपूर्ति का हकदार होगा जो मामले का प्रक्षकार नहीं है तो आवेदन का प्रथम बार उत्तर देने के लिये बुलाये जाने पर वह मय विहित फीस के ऐसा नोटिस आयुक्त को पेश करेगा और आयुक्त इस पर प्रकार को हुए स्वर्णन के नेतिस जाने करेगा

ग्रुरूप-ज में इस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के तहत नोटिस तामील कराया गया है आवंदक के प्रतिकर के दिले का बारी करने की इच्छा व्यक्त दिले का बिरोध करने की इच्छा करता है अथवा विरोध पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति किये जाने की इच्छा व्यक्त का विरोध करने की इच्छा करता है औं क्षय तारी प्रचार करता है तो वह मामले की मनवार के लिये तह तारी का प्रचार किसी उस तारी है पर जब तक के लिये नान गानक्षाय करन का इच्छा करता हु अधवा विरोधा पक्ष के दीव को सातपूत किय जाने का इच्छा व्यक्त करता है तो वह मामले की सुनवाई के लिये तय तारीख पर या किसी उस तारीख पर जब तक के लिये मामले को संपन्ति भागा हु ता वह मामल का मुनवाइ के लिय तय ताराख पर या किसा उस ताराख पर जब तक के तथा मामले को स्थगित किया गया है आयुक्त के समक्ष पेश होगा और यदि इस प्रकार वह पेश होता है, तो कार्यवासी ने प्रकार भागप का स्थागत कथा गया ह आयुक्त क समक्ष पश होगा आर याद इस प्रकार वह पश होता है, तो कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार उसे प्राप्त होंगे, पेश होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जायेगा कि विरोधी पक्ष के विरुद्ध दिया गया कोई अधिनिर्णय उसे स्वीकार है और उससे वसूले गये किसी प्रतिकर के लिये विरोधी गण को अध्याधिक को कार्यकार उसमें का वारिक्य क्षीकार है लिये विरोधी पक्ष की क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है :

परनु इस प्रकार नोटिस तामील किया गया व्यक्ति वाद में पेश होकर आयुक्त को सनुष्ट कर देता है कि उसके पेश न हो पाने का पर्याप्त कारण था तो उपर्युक्त पक्षकार को नोटिस देने के बाद आयुक्त घो व्यक्ति को उसके पेश न हो पाने का पर्याप्त कारण था तो उपर्युक्त पक्षकार को नोटिस देने के बाद आयुक्त घो उसके पेश न हो पाने का पर्याप्त कारण था तो उपर्युक्त पक्षकार को नोटिस देने के बाद आयुक्त घो उसके को प्रवास कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सुनेगा और इन नियमों के तहत दिये गये किसी अधिनिर्णय को अपास्त कर सकता है अथवा परिवर्तित कर सकता है और ग्रेम विवर्णना सामग्री सामग्

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के तहत नोटिस तामील करावा गया है, चाहे वह आवेदक प्रतिकार के रात्ने वा अध्यक्ष किंग्रेस गण की धानिपर्वि किये जाने के रावे का विरोध करने की इच्छा करे या (3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के तहत नीटिस तामील कराया गया है, चाह वह आवदक का प्रतिकर के दावे का अथवा विरोधों पक्ष की श्रीतपूर्ति किये जाने के दावे का विरोध करने की इच्छा करें या मा प्रतिकर के दावे का अथवा विरोधों पक्ष की श्रीतपूर्ति किये जाने के दावे का उपांक द्वारा श्रीतपूर्ति किये जाने म करे, दावा करता है, कि ठेकेदार होने के नाते वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध में है तो वह स्वयं मालिक है जो उस विरोध मालिक है जो जो उस विरोध मालिक है जो जो उस विरोध मालिक है जो उस विरोध मालिक है जो जो उस विरोध मालिक है जो जो उस विरोध मालिक है जो उस विरोध मालिक है जो जो उस विरोध म गमर, दावा करता है, कि ठेकेदार होने के नाते वह स्वय मालिक है आर उस व्याक्त द्वरा श्वातपूत (क्षय जान का हकदार है जो उस ठेकेदार जिससे कर्मकार प्रतिकर वसूलता के सम्बन्ध में उसके विरोध में है तो वह notice of such claim to the Commissioner accompanied by the prescribed fee and the Commissioner shall thereupon issue notice to such person in Form JJ.

and the Commissioner shall thereupon issue notice to such person in Form JJ.

(4) If any person served with a notice under sub-rule (3) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the claim under sub-rule (3) to be indemnified, he shall appear before the Commissioner on the date fixed in the notice in Form JJ or on any date to which the case may be adjourned and, if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the original opposite party or the person served with a notice under sub-rule (1) and to admit his own liability to indemnify the party against whom such award is made for any compensation recovered from him:

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies.

such award is made for any compensation recovered from him:

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Commissioner that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Commissioner shall, after giving notice to all parties on the record, hear such person, and may set aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms as may be just.

(5) In any proceeding in which a notice has been served on any person under sub-rule (1) or sub-rule (3) the Commissioner shall, if he award compensation, record in his judgment a finding in respect of each of such persons whether he is or is not liable to indemnify any of the opposite parties, and shall specify the party, if any, whom he is liable to indemnify.

40. Procedure in connected cases.—(1) Where two or more cases pending

and shall specify the party, if any, whom he is liable to indemnify.

40. Procedure in connected cases.—(1) Where two or more cases pending before a Commissioner arise out of the same accident, and any issue involved is common to two or more such cases, such cases may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be heard simultaneously.

(2) Where action is taken under sub-rule (1) the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one case, and the Commissioner shall certify under his hand on the record of any such other case, the extent to which the evidence so recorded applies to such other case, and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and if they were present, of cross-examining the witnesses.

41. Certain provisions of Code of Civil Procedure, 1908 to apply.—Save as otherwise expressly provided in the Act or these Rules the following

as otherwise expressly provided in the Act or these Rules the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908, namely, those contained in Order V, Rule 9 to 13 and 15 to 30: Order IX; Order XIII, Rules 3 to 10; Order XVI, Rules 2 to 21; Order XVII; and Order XXIII, Rules 1 and 2, shall apply to proceeding before Commissioners, in so far as they may be applicable thereto:

Provided that-

- for the purpose of facilitating the application of the said provisions the Commissioner may construe them with such alterations not affecting the substance as may be necessary or proper to adapt them to the matter
- the Commissioner may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provisions, if he is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.
- 42. Provision regarding signature of forms.—Any form, other than a receipt for compensation, which is by these rules required to be signed by a Commissioner may be signed under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.
- 43. Apportionment of compensation among dependents.—The provisions of this part, except those contained in Rules 26, 27 and 39 shall, as far as may be, apply in the case of any proceedings relating to the apportionment of compensation among the dependents of a deceased workman.

<sub>नियम</sub> 40—431 हिंग"

अर्थ के तहत दिये गये नोटिस में तय तारीख पर या पहले विहित के साथ आयुक्त को ऐसे दावे का उपित्रस देगा और आयुक्त पर प्ररूप-अञ में ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा। उपित्यमं (1) के तारुप राज्य नाम भागवल भागव नागिखं पर या पहले विहित के स उपित्यमं (1) को आयुक्त पर प्ररूप-अञ में ऐसे व्यक्ति को नीटिस जागे करेगा। एक नीटिस देगा और आयुक्त पर प्ररूपनयमः (२) के जानित्यमं (३) के

नोटिस परा अपेटिस परा (4) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के तहत नोटिस तामील किया गया है आवेट्क के प्रतिकर के (4) को करने की अथवा उपनियम (3) के तहत क्षतिर्यहिकिये को प्री (4) यदि काई व्यक्ति ।जास उपानयम (3) के तहत नोटिस तामील किया गया है आवेदक के प्रतिकर के विकास (4) यदि काई अपोवेदक के प्रतिकर के विकास (4) के तहत क्षतिपूर्ति किये जाने की इच्छा प्रकट करता है तो वह दावे का विदेश में त्य की गयी तारीख पर या उस तारीख पर जिस तारीख तक के लिये मामला व्यक्ति किया प्रहरू-अज में तय की गयी तारीख पर यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है ने उसे मामला व्यक्ति किया प्रहरू- अज्ञ के समक्ष पेश होगा, और यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है ने उसे प्रवास के समक्ष पेश होगा, और यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है ने उसे प्रवास के समक्ष पेश होगा, और यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है ने उसे प्रवास करता है तो उसे प्रवास के समक्ष पेश होगा और यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है ने उसे प्रवास के समक्ष पेश होगा अपोवेदक के प्रतिकर के हों! अब में तथ का नाना आरोज पर ना ठस ताराख पर जिस तारीख तक के लिये मामला स्थीगत किया प्रहर्ग-अब में तथ का समक्ष पेश होगा, और यदि वह इस प्रकार पेश हो जाता है तो उसे कार्यवाही के फसकार के गया है आयुक्त के समक्ष पेश होंगे और इस प्रकार पेश होने के व्यतिक्रम में यह गाना करने क प्रश् गवा है आयुक्त के समक्ष परा लगा, जार बाद वह इस प्रकार पेश हो जाता है तो उसे कार्यवाही के प्रकार गवा है अधिकार प्राप्त होंगे और इस प्रकार पेश होने के व्यतिक्रम में यह माना जायेगा कि मूल प्रकार के विरुद्ध सभी अधिकार प्राप्त के विरुद्ध जिसे उपनियम (1) के तहत नोटिस तामील कार्या गया है दिये गये और्धीनणय अध्या इस व्यक्ति के और उस पक्षकार को क्षतिपृति करने का स्वयं का क्षतिल अथवा उस व्याक्त का निरुद्ध करा जानन (17) क तहत नाटस तामील कराया गया है दिये गये अधिनेन्य अथवा उस व्याक्त करता है और उस पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का स्वयं का दायित्व खोकार करता है जिसके को स्वीकार करता है और उस पक्षकार को लिये अधिवर्णक दिया गया है को स्वीकार करण ए जाने वाले किसी प्रतिकर के लिये अधिनर्णय दिया गया है : विरुद्ध उससे वसूले जाने वाले किसी प्रतिकर के लिये अधिनर्णय दिया गया है :

परन् यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार नोटिस तामील करा दिया गया है वाद में पेन होकर आयुक्त को परितु थाद कार प्राप्त प्रकार के अवस्था माटल तामाल करा दिया गया है बाद में पेत होका आदुठ की प्रति होते से पर्याप्त कारण ने रोका था तो अभिलेख पर दिये गये सभी पक्षकारों को सन्तृष्ट कर देता है कि उसे पेश होने से पर्याप्त को सन्तृष्ट कर देता है कि उसे पेश होने के बाद आयक्त ऐसे व्यक्ति को सनेगा और ग्रेम निकारणें गा के अपित परित्र परित्र होने के बाद आयक्त ऐसे व्यक्ति को सनेगा और ग्रेम निकारणें गा के अपित परित्र होने के बाद आयक्त ऐसे व्यक्ति को सनेगा और ग्रेम निकारणें गा के अपित होने के बाद आयक्त ऐसे व्यक्ति को सनेगा और ग्रेम निकारणें गा के अपित होने के बाद आयक्त ऐसे व्यक्ति को सनेगा और ग्रेम निकारणें गा के अपित होने से स्वाप्त करने स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होने के बाद आयक्ति होने से स्वाप्त स सर्वुष्ट कर दता है। क उस नार लगा ने नवार कारण ने सका था ता आभलख पर दिये गये सभी परकारों की सर्वुष्ट कर देने के बाद, आयुक्त ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायोचित हो इस निबम के तहते नोटिस के के किस्त दिये गये किसी अधिनिर्णय को अध्यक्त ग्रामान्ति नोटिस देन क बाप, जानुण रूप स्वाप्ण का गुपपा आर एस ानबन्धना पर जो न्यायोचित हो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिये गये किसी अधिनिर्णय को अपास्त या परिवर्तित कर सकता है।

- एस आप (5) उस किसी प्रक्रिया में जिसमें उपनियम (1) अथवा उपनियम (3) के तहत किसी व्यक्ति को (5) उस किसी प्रक्रिया में जिसमें उपनियम (1) अथवा उपनियम (3) के तहत किसी व्यक्ति को नीटिस तामील करा दिया गया है तो आयुक्त, अगर वह प्रतिकर का अधिनर्णय देता है, प्रत्येक व्यक्ति के नीटिस तामील करा दिया गया है तो आयुक्ति करेगा चाहे वह व्यक्ति किसी विशेषी पक्ष श्रांतपूर्व करने सम्बन्ध में निष्कर्ष को अपने निर्णय में अभिलेखित करेगा चिसका श्रांतपूर्व करने व्यक्ति करने व्यक्त सम्बन्ध म निष्कप का अभग गणप न आमलाखत करगा चाह वह व्यक्ति किसी विरोधी पक्ष सीतपूर्ति क का दायी हो या नहीं और पक्षकार को यदि हो, विनिर्दिष्ट करेगा जिसका क्षतिपूर्ति करने का वह दायी है।
- 40. संसक्त मामलों में प्रक्रिया.—(1) जहां एक ही दुर्घटना से उत्पन्न दो या दो से अधिक मामले आयुक्त के समक्ष लिम्बत हों और अन्तर्गत कोई भी विवादक दो या अधिक ऐसे मामलों में समान हो ते. वहां आवुरा तक ऐसे विवाद्यक में साक्ष्य का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों की सुनवाई साथ-साथ की जा सकती है।
- (2) जहां उपनियम (1) के तहत कार्यवाही की जाती है तो उस समान विवाधक या विवाधकों के साक्ष्य का अभिलेखन एक मामले में ही किया जायेगा और आयुक्त ऐसे किसी अन्य मामले के अभिलेख स साक्ष्य का आमलाखन एक मामल न रु। कथा णावना आर आवुक एस किसा अन्य मामल के आमलेख स अपने हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करेगा, उस विस्तार तक कि इस प्रकार अभिलेखित किया गया साझ्य ऐसे अपन हस्ताबार करक उल प्रमााणा करना, उलावस्तार तकाक इस प्रकार आगलाखताकथा ग्रंथ संस्थ रूप अन्य मामले में हों, और यह तथ्य कि ऐसे अन्य मामले के प्रथकारों को पेश होने का अवसर मिला हो. और यदि वे उपस्थित हों, तो गवाहों की प्रतिपरीक्षा का अवसर मिला हो।
- 41. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कुछ उपवन्धों का लागू होना. ऑधनियम या इन नियमी 41. स्मायल प्राक्रया साहता, 1908 क कुछ उपबन्धा का लागू हामा.—आयानयम बा शानवन में अन्यथा उपबन्धित होने के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नितिखित उपबन्ध यथा वे उपबन्ध जो आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश IX. आदेश XIII. नियम 1 में 10, आहेश XVII नियम 2 में 21 आहेश XVIII और आहेश XXIII नियम 1 एवं 2 में निहित हैं से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII, और आदेश XXIII, नियम 1 एवं 2 में निहित हैं आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में लागू होंगे, जहां तक वे उन पर लागू हो :

परन्तु, (क) उक्त उपबन्धों के लागू होने को सुकर बनाने के उद्देश्य के लिये आयुक्त के उपबन्धों का कुछ ऐसे परिवर्तनों के साथ अर्थ लगा सकता है जो इनके सार को प्रभावित किये बगैर उसके समक्ष मामले के प्रति

(ख) पर्याप्त कारणों की वजह से, आयुक्त उक्त उपबन्धों के अनुसार से भिन्न कार्यवाही कर सकता है यदि वह सन्तुष्ट हो जाता है पक्षकारों के हित पर प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुकूल बनाने के लिये आवश्यक या उचित हो;

42. प्ररूपों पर हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उपबन्ध, — प्रतिकर की रसीट से पिन कोई अन्य प्ररूप जो इन में के तरन अपनन अपन **42. प्ररूपा पर हस्ताक्षर के साबन्ध म उपबन्ध.** — प्रातंकर का स्माद स । मन्त काइ अन्य प्ररूप जा इन नियमों के तहत आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है उसके निर्देशानुसार एवं उसकी ओर से इस उद्देश्य के लिये लियिवन करा के उसके अपर नियक समके अधीवार। अफसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है। ाजना क तहत आयुक्त द्वारा हस्ताक्षारत होना अपाक्षत है उसके लंदशातुमार एवं उसका जार से इस अर्थ लिये लिखित रूप में उसके द्वारा नियुक्त उसके अधीनस्थ अफसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

43. आश्रितों में प्रतिकर नियम करना.—नियम 26, 27 एवं 39 में तिहत उपबन्धों के सिवाय, इस भाग के उपबन्ध, जहां तक हो सके, मृत कर्मकार के आश्रितों में प्रतिकर के बंटवारे से सम्बन्धित किन्हीं. कार्यवाहियों के मामले में लागू होंगे।

[Rules 44-49

#### PART VI

#### TRANSFER

- 44. Transfer for report.—(1) A Commissioner transferring any matter to another Commissioner for report in accordance with sub-section (2) of Section 21 shall, along with the documents referred to in that sub-section, transmit to such other Commissioner a concise statement, in the form of questions for answer of the matter on which report is required.
- (2) A Commissioner to whom a case is so transferred for report shall not be required to report on any question of law.
- 45. Transmission of money.—Money transmitted by one Commissioner to another in accordance with sub-section (2) of Section 21 shall be transmitted either by remittance transfer receipt, or by money order or by messenger, as the Commissioner transmitting the money may direct

#### PART VII

### APPOINTMENT OF REPRESENTATIVES

- **46.** When representatives must be appointed.—Where any party to an proceeding is under the age of 15 years or is unable to make an appearance, the Commissioner shall appoint some suitable person, who consents to the appointment, to represent such party for the purposes of the proceeding.
- 47. When new representative to be appointed.—If the Commissioner considers that the interests of any party for whom a representative has been appointed under Rule 46 are not being adequately protected by that representative or if a person appointed to act as representative dies or becomes incapable of acting, or otherwise ceases to act as such, the Commissioner shall appoint in his place another person who consents to the appointment.

#### PART VIII

### RECORD OF MEMORANDA OF AGREEMENT

- 48. Form of memorandum.—Memorandum of agreement sent to the Commissioner under sub-section (1) of Section 28 shall, unless the Commissioner otherwise directs, be in duplicate, and shall be in as close conformity as the circumstances of the case admit with Form K or Form L or Form M, as the case may be
- 49. Procedure where Commissioner does not consider that he should refuse to record memorandum.—(1) On receiving a memorandum of agreement, the Commissioner shall, unless he considers that there are grounds for refusing to record the memorandum for a data for recording the same and agreement, the Commissioner snail, unless ne considers that there are grounds for refusing to record the memorandum, fix a date for recording the same, and shall issue a notice in writing in Form N to the parties concerned that in default of objections he proposes to record the memorandum on the date so fixed:

Provided that the notice may be communicated orally to any parties who are present at the time when notice in writing would otherwise issue.

(2) On the date so fixed, the Commissioner shall record the memorandum unless, after hearing any of the parties who appear and desire to be heard, he considers that it ought not to be recorded:

Provided that the issues of a notice under sub-rule (1) shall not be deemed to prevent the Commissioner from refusing to record the memorandum on the date so fixed even if no objection be made by any party concerned.

(3) If on such date the Commissioner decides that the memorandum ought not to be recorded, he shall inform the parties present on his decision and of the reasons therefor, and, if any party desiring the memorandum to be recorded is not present, he shall send information to that party in Form O.

FaH 44-49]

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

भाग VI

44. रिपोर्ट के लिये अन्तरण.—(1) कोई आयुक्त जो धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार रिपोर्ट के 44. रिचार का राज्य आयुक्त के पास अन्तरित कर रहा है, उस उपधारा (2) के अनुमार रिपोर्ट के क्रिसी मामले को अन्य आयुक्त के पास अन्तरित कर रहा है, उस उपधारा में उत्तरिक्षित दस्तावेज के हिंदी अन्य आयुक्त के पास ऐसा संक्षिप्त कथन भेजेगा जो उस मामले के उन्हें के कि है हिंदी मामल का जान जानुजा के नास अन्तारत कर रहा है, उस उपधारा में उत्तरिक्षत दस्तादेव के हिंदी किसी मामल के पास ऐसा संक्षिप्त कथन भेजेगा जो उस मामले के उत्तर के लिये जिस पर रिपोर्ट मांगी सार्थ उस अन्य ओयुक्त के पास ऐसा संक्षिप्त कथन भेजेगा जो उस मामले के उत्तर के लिये जिस पर रिपोर्ट मांगी सार्थ उस अन्यों के प्ररूप में होगा। साथ उत्त ग्यों है के प्रश्नों के प्ररूप में होगा।

ह पर अयुक्त जिसके पास रिपोर्ट के लिये मामला इस प्रकार अन्तरित किया गया है किसी विधि के प्रव (2) के जिलो अपेक्षित नहीं होगा। (2) जाउँ । जिस्सा नहीं होगा। क्रा उत्तर देने के लिये अपेक्षित नहीं होगा।

की अतर प्रमुखणा.—एक आयुक्त द्वारा दूसरे आयुक्त के पास धारा 21 की उपधारा (2) के अनुसार 45. धन का पारेषण अन्तरण रसीद, या धनादेश या दूत द्वारा, जैसा भी धन भेजने वाला आयुक्त निर्देश दे भेजा गया धन या तो प्रेषण अन्तरण रसीद, या धनादेश या दूत द्वारा, जैसा भी धन भेजने वाला आयुक्त निर्देश दे भेजा जायेगा।

भाग VII

### प्रतिनिधियों की नियुक्ति

46. जब प्रतिनिधि अवश्य नियुक्त किये जाने चाहिये. — जब कार्यवाही का कोई पक्षकार 15 वर्ष से 46. जब आया तर्ज प्रश्ति के उन्हें प्रति के उन्हें प्रति के उन्हें प्रति के उन्हें प्रति के प्रति के उन्हें प्रति के उन्हें प्रति के उन्हें प्रति के उन्हें कम जानु पा जानुका की प्रमुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

47. जब नये प्रतिनिधि को नियुक्त करना हो.—यदि आयुक्त यह समझता है कि किसी पक्षकार जिसके लिये धारा 46 के तहत प्रतिनिधि नेयुक्त किया गया है के हितों की रक्षा उस प्रतिनिधि से सही तरह जिसके 1लाय वारा 40 का राहण आसाम मानुक किया गया है के हितों की रक्षी उस प्रातानाध से सही तरह से नहीं हो रही है अथवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अथवा कार्य करने में अक्षम हो जाता है, अथवा अन्य प्रकार से कार्य करना बन्द कर देता है तो आयुक्त उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त करेगा जो नियुक्ति की सहमित देगा।

#### भाग VIII

### करार के ज्ञापनों का अभिलेख

48. ज्ञापन का प्रारूप.—धारा 28 की उपधारा (1) के तहत आयुक्त के पास भेजा गया करार का ज्ञापन ना सार्व तथा महरूप वार्त 20 था अनुभाव हो। या प्रतानाचुक वार्व वार्त वार्व वार्त वार्त वार्त वार्त वार्त वार्त व यदि आयुक्त, अन्यथा निर्देश न् दे, दो प्रतियों में होगा, और प्रह्मप-ट अथवा प्रह्मप-ठ अथवा प्रह्मप-ड, जैसी भी स्थिति हो, के उतने अनुरूप होगा जितनी मामले की परिस्थितियां ग्रहण करें।

49. प्रक्रिया जहां आयुक्त यह नहीं मानता कि उसे ज्ञापन अभिलेखित करने से इन्कार करना चाहिये.—(1) करार का ज्ञापन प्राप्त करने पर यदि आयुक्त यह नहीं मानता कि ज्ञापन को अभिलेखित करने चाहिये.—(1) करार का ज्ञापन प्राप्त करने पर यदि आयुक्त यह नहीं मानता कि ज्ञापन को अभिलेखित करने में इन्कार करने के आधार हैं तो वह उन्हें अभिलेखित करने के लिये तारीख तय करेगा और सम्बन्धित र रूपार पारंग क आवार है ता वह उन्हें आभलाखत करन के लिये ताराव तर करना जार सम्बान्धा पक्षकारों को प्ररूप-ढ में एक नोटिस जारी करेगा कि एतराजों के पेश न किये जाने की सूरत में वह इस प्रकार

तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलेखित करने का प्रस्ताव करता है : परन्तु नोटिस किन्हीं भी पश्चकारों को मौंखिक पहुंचाया जा सकता है जो उस समय जब नोटिस लिखित

रूप में अन्यथा जारी होता उपस्थित हो।

(2) इस प्रकार तय तारीख पर, आयुक्त ज्ञापन अभिलेखित करेगा यदि किन्हीं पश्चकारों को जो पेश होकर सुने जाने की इच्छा प्रकट करे वह यह न माने कि इसे अभिलेखित नहीं किया जाना चाहिये :

परन्तु उपनियम (1) के तहत कि विवाधक आयुक्त को इस प्रकार तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलेखित करने के लिये इन्कार करने से नहीं रोक सकेंगे चाहे सम्बन्धित किसी पक्ष ने एतराज न किया हो। गरा का लिय इस्कार करन से नहां राक सका चाह सम्बान्धत कसा पक्ष न एतराज ना क्या हो।

(3) यदि इस तारीख पर आयुक्त यह निर्णय लेता है कि ज्ञापन अभिलेखित नहीं किया जाना चाहिये तो वह अपने निर्णय एवा इसके कारणों की सूचना उपस्थित पक्षकारों को देगा, यदि ज्ञापन को अभिलेखित कराने वह अपने निर्णय एवं इसके कारणों की सूचना उपस्थित पक्षकारों को सूचना देगा।

को चाह रखने वाला कोई उपस्थित नहीं है, तो वह प्ररूप-ण में पक्षकार को सूचना देगा।

- 50. Procedure where Commissioner considers he should refuse to record memorandum.—(1) If, on receiving a memorandum of agreement, the Commissioner considers that there are grounds for refusing to record the same, he shall fix a date for hearing the party or parties desiring the memorandum to be recorded, and shall inform such party or parties and, if he thinks fit, any other party concerned, of the date so fixed and of the grounds on which he considers that the memorandum should not be recorded. memorandum.-(1) If.
- (2) If the parties to be informed are not present, a written notice shall be sent to them in Form P or Form Q, as the case may be, and the date fixed in such notice shall be not less than seven days after the date of the issue of the same  $\frac{1}{2}$
- (3) If, on the date fixed under sub-rule (1), the party or parties desiring the (g) ii, on the date lixed under sub-rule (i), the party or parties desiring the memorandum to be recorded show adequate cause for proceeding to record the same, the Commissioner may, if information has already been given to all the parties concerned, record the agreement. If information has not been given to all such parties, he shall proceed in accordance with Rule 49.
- (4) If, on the date so fixed, the Commissioner refuses to record the memorandum, he shall send notice in Form O to any party who did not receive
- **51. Procedure on refusal to record memorandum.**—(1) If in any case the Commissioner refuses to record a memorandum of agreement, he shall briefly record his reasons for such refusal.
- (2) If the Commissioner refuses to record a memorandum of agreement, he shall not pass any order directing the payment of any sum or amount over and above the sum specified in the agreement, unless opportunity has been given to the party liable to pay such sum to show cause why it should not be paid.
- (3) Where the agreement is for the redemption of half-monthly payments by (a) where the agreement is for the redemption of nair-monthly payments by the payment of a lump sum, and the Commissioner considers that the memorandum of agreement should not be recorded by reason of the inadequacy of the amount of such sum as filed in the agreement, he shall record his estimate of the probable duration of the disablement of the workman.
- 52. Registration of memorandum accepted for record.—In recording a memorandum of agreement, the Commissioner shall cause the same to be entered in a register in Form R and shall cause an endorsement to be entered under his signature on a copy of the memorandum to be retained by him in the following terms.

Sd..... Commissioner

FORM A [Rule 6 (1)]

# Deposit of Compensation for Fatal Accident

[Section 8 (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923]

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924 व्यम 50-प्ररूप-क] प्रक्रिया जहां आयुक्त यह मानता है कि ज्ञापन अभिलेखित करने से इन्कार करना 50. प्रक्रिया जहा आधुता यह भानता है कि ज्ञापन अधिलेखित करने से इन्कार करना 50. (1) करार के ज्ञापन को प्राप्त करने पर यदि आयुक यह मानता है कि ज्ञापन अधिलेखित करने से ब्राह्मिं (1) करार के ज्ञापन आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जान करने से जानिय करने के पर्याप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जानिया करने के प्राप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जानिया करने के प्राप्त अधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जानिया करने से स्वाप्त अधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जानिया करने से स्वाप्त अधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सनने के क्लिये के जानिया करने से स्वाप्त अधार है तो वह स्व वाहिये.—(1) करार क ज्ञापन का प्राप्त करन पर यदि आयुक्त यह मानता है कि ज्ञापन अभिलेखित करने से वाहिये.—(1) के पर्याप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के लिये जो ज्ञापन को अभिलेखित करने से किस करने के पर्याप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को योग निवास को अभिलेखित करने के तिस के किस करने के तिस के किस करने किस किस करने किस किस करने किस किस करने किस किस करने किस क ब्रार्ट करने के स्थार जानार रूपा नर पश्चकार या पश्चकारों को सुनने के लिये जो ज्ञापन को अभिलेखित हकार करने की इच्छा रखते हैं तारीख तय करेगा और ऐसे पश्चकार या पश्चकारों को और, यदि वह उचित समझे, करोने की इच्छा रसनेस्थत पश्चकार को सूचना देगा। किसी अन्य रा (2) यदि सूचना दिये जाने वाले पक्षकार उपस्थित नहीं हों तो प्रारूप-त अथवा प्रारूप-थ में जैसी भी (देश कि लिखित नोटिस उन्हें दिया जायेगा, और इस नोटिस में तय तारीख नोटिस जारी होने की स्थिति हो, एक लिखित नोटिस उन्हें होगी। करी<sup>न</sup> का <sup>प्रस्</sup>यान्य प्रसंकार को सूचना देगा। किसी <sup>अन्य</sup> सम्बन्धित पश्चकार को सूचना देगा। रिथात हो। तरिख के बाद से सात दिन से कम नहीं होगी। (3) उपनियम (1) के तहत तय तारीख पर यदि ज्ञापन को अभिलेखित कराने की बाह रखने वाला (3) उपानवंश (1) का पहण तथ ताराख पर याद ज्ञापन को ऑमलीखत कराने की चाह रखने वाला पहलार या वाले पक्षकार ज्ञापन को अभिलीखत करने के लिये कार्यवाही करने के लिये डाँचत कारण दशाते हैं पहलार या वाले पक्षकार ज्ञापन को अधिलीखत करने के लिये कार्यवाही करने के लिये डाँचत कारण दशाते हैं पश्चिमार या वाल पराकार ज्ञापन का जानालाखत करने के लिय कायवाही करने के लिये डींचर कारण ट्यांते हैं तो आयुक्त यदि सम्बन्धित सभी पक्षकारों को पहले ही सूचना दो जा चुकी है, करार अफ्लिखित करेगा। यदि तो आयुक्त थाद सम्बान्यमा समान्यवामाम का पहल हा सूचना दो जा चुकी है, करार अपिती हुन सभी पक्षकारों को सूचना नहीं दी गयी है तो वह नियम 49 के अनुसार कार्यवाही करेगा। (4) तय तारीख यदि आयुक्त ज्ञापन अभिलेखित करने से इन्कार कर देता है तो वह उस किसी पक्षकार (4) तथ ताराख याद आयुक्त ज्ञापन आमलाखत करन स इकार कर देता है है को प्ररूप-ण में नोटिस भेजेगा जिसने नियम (1) के तहत सूचना प्राप्त नहीं की थीं। 51. जापन अभिलिखित करने से इन्कार पर प्रक्रिया.—(1) यदि किसी मामले में आयुक्त करार के 51. ज्ञापम आभालाखत करन स इन्कार पर प्राक्षया.—(1) याद किसा मामल में आयुक्त करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार करता है तो वह अपने इस इन्कार के कारणों का संक्षित्र अभिलेखन (2) यदि आयुक्त करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार कर देता है तो वह करार में विनिर्दिष्ट (2) याद आयुक्त करार क ज्ञापन का आभाशाखा करन स इकार कर दता हु वा वह करार म पानावट राशि से अधिक किसी राशि या रकम का संदाय करने को निर्देशित करने वाला आदेश परित नहीं करा। यद साज स जावक करते सारा ज स्थान का चवल करा का गवासक करा वाला जावत आसा गरावत है. राशि अदा करने के दायी पक्षकार यह कारण बताने का कि राशि अदा क्यों नहीं की जानी चाहिये अवसर न दे (3) जहां करार एकमुश्त राशि के संदाय के द्वारा अद्वीगांसक संदायों के खुटकारे के लिये हो, और आयुक्त यह माने कि करार का जापन इस कारण से अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि करार में आयुक्त यह माने कि करार का जापन इस कारण से अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि करार से अधिका अपने का अपने करार अधिका जापुक्त यह मान कि करार का ज्ञापन इस कारण सं आपालाखत नहीं कथा जाना चाहिय क्याकि करार म फाइल की गयी स्टाक की रकम अपर्याप्त है, तो वह कर्मकार की नि:शक्तत की सम्भाव्य अवधि का अपना अस्तरका अधिकित्यक कोता। दिया गया हो। 52. अभिलेख के लिये स्वीकार किये गये ज्ञापन का पंजीकरण—करार के ज्ञापन अभिलिखत 24. जामलख के लिय स्वाकार किय गय ज्ञापन का प्रजाकरण—करार के ज्ञापन आशालखा करने में आयुक्त इसको प्ररूप-द में एक र्राजस्त में दर्ज करायेगा और ज्ञापन की एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर आंकलन अभिलिखित करेगा। रूप गण्याच्या २०१मा अरूप प्रमुख सम्बद्धा पद्धा करायमा जार मागण कार्या आर द्वारा एक पृष्ठांकन करवायेगा जो निम्नलिखित निबन्धनों में उसके द्वारा रखी जायेगी, यथा : ''20. ....को क्रम सं॰ .....वाला दिन.....को रजिस्टर में अभिलिखित किया गया। हस्ताक्षर..... प्ररूप क [नियम 6 (1)] घातक दुर्घटना के लिये प्रतिकर का जमा होना 

पेश है :

52 THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES, 1924 (FORM AA -		
B	प्ररूप-कक—ख] कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924 52	
Name		
rather's/Husband's	नाम	9
name	जाति	
Local address	स्थानीय पता	
Local address	स्थानी पता	
Permanent address	उसकी मासिक मजदूरीरपये आंकी गयी जब वह उसकी मृत्यु के समय 15	
His/Her monthly wages are estimated at Rs when he/she was over/under the age of 15 years at the time of his/her death.	उसका मासिक मजदूरी	
(2) The said workman had all the drift of his/her death.	वर्ष की आयु से अधिक/कम थी।	
following payments, namely:	2. उक्त कर्मकार ने अपनी मृत्यु के पहले निम्नितिखित संदाय प्राप्त कर लिये थे, यथा :	
Rs on dt Rs on dt	[6719091	
rs on dt	[67]9	
on dt.		
	कुल राशि	
	कुल राशिको प्रतिकर के एवज में	
compensation to has been made on account of	किया गया है।	
<ol> <li>4. * I do not/desire to be made a party to the proceedings for distribution of the aforesaid compensation.</li> </ol>	4 उपयक्त प्रतिकर के वितरण के लिये कार्यवाहिया में पक्षकार बनन पन पर रूप	
Dated the	दिनाक	
***************************************	े कार देना	
*Where an employer desires to be made a party the proceeding he should	* जहां कोई नियोजक कार्यवाहियों में पक्षकार बनने की इच्छा को तो उसे शब्द ''नहीं'' काट देना	
strike out the words "do not."	चाहिये।	
FORM AA	प्ररूप कक	
[Pulo 6 (1)]	[नियम 6 (1)]	
Deposit of Compensation for Non-fatal Accident to a Woman or person under  Legal Disability	[नियम 6 (1)] गैर घातक दुर्घटना के लिये वैध नि:शक्तता के अन्तर्गत किसी महिला या व्यक्ति के लिये प्रतिकर का जमा होना	
	गर घातक दुधटना के लिय ने पर जमा होना	
[Section 8 (1) of the Workmen's Compensation Act, 1923]	[कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 8 (1)]	
Compensation amounting to Rs		
deposit in respect of injuries sustained by residing at on dt.	ा. नुकसा गर्भर को क्षतियों के सम्बन्ध में प्रतिकर सारा	
resulting in the loss of /towns	रे चित्र मतटहारा पुरा का जाता है। जाता है।	
estimated at Re	के लिये एतद्वारा पश की जाता है। जन ने दें दु मजदूरी केरुपये आंकी गयी थी। 1. उक्त कर्मकार निक्षेप की तारीख से पहले अर्द्धमासिक संदाय प्राप्त कर चुका है,	
at the time of the accident. when he/she was over/under the age of 15 years	न कर्मकार निक्षेप की तारीख से पहले अद्भासक स्पान	
The said injured workman has prior paid to the date of the deposit received the half-monthly payments, namely.		
received the half-monthly payments, namely:	यथा :	
Rs on dt Rs on dt Rs on dt	दिनांककोर०ह०कोर०	
RS and de la communicación	दिनांककोरु०	
Dated the	दिनाक को दिनाक नियोजक	
20	दिनांक20 नियोजक	
Employer	प्रक्रप ख	
FORM B	[नियम 6]	
[Rule 6]	प्रतिकर की रसीद	
Receipt for Compensation	अधिनियम 1923 की धारा 8 (1) के प्रियम मंद्रियम मं	
[Deposit under Section 8 (1) of the Workmen's Comments	्कर्मकार प्रातकर आयाचन र स्ति सं र सं	
Depositor		7. 1.5
Deceased or injured workman		
Date of Deposit 20	मृत या क्षांतग्रस्त करणा20	
		7

53 THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES. 1924 [Forms C_F	प्रह्मप-ग—ङ] कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924	53
Sum deposited Rs.	जमा की गयी राशि	
Dateu tile	दिनांक20	Description of the second
***************************************		आयुक्त
FORM C	प्ररूप ग	
[Rule 6]	[नियम 6]	
	संवितरणों का कथन	
Statement of Disbursements	[कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 8 (4)	1
Section 8 (4) of the Workmen's Compensation Act, 1923	क्रम सं॰	
Denocitor	जमाकर्ता	
Depositor	दिनांक	
Amount deposited Rs	ह०	
acposited	2 2 5	→ <del>परि मंटाय की गयी</del>
Amount deducted and re-paid to the employer under the proviso to Section 8 (1)	जमा की गयी राशि धारा 8 (1) के परन्तुक के तहत कटौती की गयी व नियोजक	की प्राप्त तथन क
8 (1)	राशि	
Funeral expenses paid		
Compensation paid to the following dependent (s):	अन्तिम संस्कार के लिये अदा किय गय खप निम्नलिखित आश्रितों को अदा किया गया प्रतिकर	
Relationship		
	नाम '	
***************************************		कुल राशि
Dated the Total		आयक
20	दिनांक20	3133
Commissioner	प्ररूप घ	
FORM D	[नियम 9]	र <del>च्यो पतिकर</del>
Rule 9	[नियम 9] महिला अथवा वैध निःशक्तता के तहत व्यक्ति को से भिन्न, गैर घात का निक्षेप	क दुघटनाओं के लिय अल्प
Deposit of Compensation for Non-fatal Accidents, other than to a Woman or		
ander Degal Disability	[कर्मकार प्रतिकर अधिनयम, 1923 को धारा पर रहने वालेपर रहने वालेको ' को पहुंची के बाबत प्रतिकर राणि	8 (2)]
[Section 8 (2) of the Workman's Compensation Act, 1923]	्यर रहने वालेको ' पर रहने वालेको ' दिनांकको पहुंची के बाबत प्रतिकर राणि	महुचा स्थाया/अस्मा के
Compensation amounting to Rsis hereby presented for deposit	को पहुंची के बाबत प्रतिकर राणा	
residing this figures sustained by	दिनाक लिये एतद्द्वारा पेश की जाती है।	
	दिनांक20	नियोजक
Dated the20	दिनाक	
***************************************	प्ररूप ङ	
FORM E	[नियम 9]	
[Rule 9]	प्रतिकर की रसीद	े — निशेषी
	प्रतिकर को रसाद [कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 को धारा 8 (7	र्जिस्टर सं०
Receipt for Compensation		(later transfer
Deposit under Section 8 (2) of the Workmen's Compensation Act, 1923    Book No	TE HO	
Depositor Register No	-mad	
In favour of	जमाकर्ता	**
Date of deposit the	निक्षेप की तारीख	
Sunt deposited Rs.	निक्षेप को तीराख जमा की गयी राशि	आयुक्त
Dated the 20	जमा की गया वारा20	
	The second secon	
Commissioner		

		प्ररूप डङ		
		[नियम 11]		
	घातक द	र्घटनाओं की रिपोर्ट		
वा में				
91.4				
(प मृत्यु का कारण बनी वि 2. कर्मकार/कर्मव (क) दुर्घटना व (ख) दुर्घटना व (ग) तरीका जि	त दुर्घटना की रिपोर्ट प्रग् रिसर का विवरण दें). जनकी विशिष्टियां इसके कारों की मृत्यु के सम्बन्ध ता समय हा स्थान समें मृतक उस समय का कारणय य सुसंगत विवरण	साथ नत्थी विवरण में में परिस्थितियां इस नियोजित था/थे	रंदी गयी हैं। प्रकार थीं:	
				का पद एवं हस्ताक्षर
				का पद एवं हताका
CONTRACTO		विवरण	\	पूरा डाक पता
नाम	लिंग	आयु .	रोजगार की प्रकृति	5
1	2	3	4	
		प्ररूप च [नियम 20] तर द्वारा प्रतिकर के	लिये आवेदन	
	कमक	13 CISI MILIAN AL		
				343 S. C. L. L. L.
कर्मकार र	प्रतिकर आयुक्त को,			आवेदक
कर्मकार र		निवास स्थान		आवेदक
कर्मकार र		निवास स्थान		
		निवास स्थान <i>बनाम</i> निवास स्थान		विरोधी पक्ष
 एतदृद्धारा प्रस् (1) दि	तुत किया जाता है कि. त्नांक <sup>20</sup>	निवास स्थान बनाम निवास स्थान .केदिन व रोजगार के दौरान .के दिन	विरोधी पक्ष (के ठेंटे उत्पन दुर्घटना द्वारा ह को उसकी मृत्	
 एतदद्वारा प्रस् (1) दि	तुत किया जाता है कि. त्नांक20 रोजगार से <sup>1</sup> 20	निवास स्थान बनाम निवास स्थान .केदिन व रोजगार के दौरान .के दिन	विरोधी पक्ष (के ठेंटे उत्पन दुर्घटना द्वारा ह को उसकी मृत्	्विरोधी पक्ष हदार) द्वारा नियुक्त कर्मकार यक्तिगत क्षति हुई हो दिनांक युका कारण बनी। तिका संक्षिप्त कारण

आवेदक

आवेदक

THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES, 1924

ग्रह्मप-अअ-ट]

कर्मकार प्रतिकर नियम, 1924

59 THE WORKMEN'S COMPENSATION RULES, 1924 [Form M	प्रसप-द) कर्मकार प्रतिकर नियम, १९२४ ५७
RECEIPT  [To be filled in when the money has actually been paid]  In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs	रसीद (तब भरी जाये जब भन वास्तव में अदा कर दिना जाये) उपयुक्त करार के अनुसार मैंने दिनीककीकोरूपने प्रता कर दिन्दे हैं।
STAMP	Sind
Workman	दिनांक20
Dated the	धन अदा कर दिया गया है, और रसीद पर मेरी उपस्थित में इस्ताक्षर हुये हैं।
Note.—This form may be varied to suit special cases, e.g., injury by occupational diseases, agreement when workman is under legal disability, etc.  FORM M  [Rule 48]  Memorandum of Agreement	नोट.—विशेष मामलों, उदाहरण के लिये, जब कर्मकार वैध निःशकता के अन्तर्गत के समय उपजीविका-जन्य रोग करार, इत्यादि से क्षति, अनुकूल करने के लिये इस प्ररूप को परिवर्तित किया जा सकता है।
It is hereby submitted that on the	प्ररूप ड [नियम 48]
residing at, by accident arising out of and in the course of	करार का जापन
employment in	एतद्द्वारा प्रस्तुत है किमें नियोजन से उत्पन ीर नियोजन के दौरान दुर्घटना द्वारापर रहने वालेको दिनांकको व्यक्तिगत क्षति पहुंची। उक्त क्षति उक्त कर्मकार की अस्थायी निःशक्तत का कारण बनी जो वर्तमान में रूपये
Rs The workman is subject to a legal disability by reason of the submitted that	मासिक प्राप्त करता है। उक्त कर्मकार की मासिक मजदूरी दुर्घटना से पूर्व
and	पुन: प्रस्तुत है कि उक्त अस्थायी नि:शक्तता काल के लिये
Witness	गवाह कर्मकार के हस्ताक्षर
Dated the	दिनांक20 नोट. — करार को रजिस्टर कराने का आवेदन एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित करके दिया जा सकता है। बशर्ते अन्य पक्ष निबन्धनों से सहमत हो। परन्तु जब भी सम्भव हो, दोनों के हस्ताक्षर संलग्न हों। रसीद
[To be filled in when the money has actually been paid] In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs	(तब भरा जाये जब वास्तव में धन अदा कर दिया जाये) उपर्युक्त करार के अनुसार, मैंने आजरपये कौ राशि प्राप्त कर ली है।
STAMP	स्राण
The Marinet Company of the Company o	दिनांक20 कर्मकार
Dated the 20 Workman	the state of the s

	लिये उक्त		ार प्रतिकर f	20		ias	प्ररूप-द]		showing caus	of	- noid		THE WORKME	n apportun	61
की 3 आपको उक्त क या गया तो कर	लिये उक्त प्रतिनिधित्व जो व चित कारण दश	गहिये। कोई १ उस समय उ	केया जाना च जाये। यदि	जिस्टर क्यों हि रीख को किया	क्क करार र हो उसी ता सकेगा।	ोगा कि उ में करना ह केया जा र	दिया जार सम्बन्ध रजिस्टर	У	aid agreem-	ard to the s	with rega	ny the sale	on that date.	esentation v	repression
***************************************					20		दिनांक						i. 20	be registere Dated the	may
आयुत्त			111211					г	Commission		R	FORM			
	प्ररूप द [नियम 52]								- 10		[Rules				
	रजिस्टर			वर्ष 20			-		Reference to	Initials of	Workman		Register of Ag	Date of	S.No
रजिस्टर परिशोधनक	आयुक्त के हस्ताक्षर	कर्मकार	नियोजक	रजिस्ट्रेशन की तारीख	ही तारीख	करार व	क्रम सं०	9 1	rectifying the register	Commission er			registration	agreement .	
आदेशों का नि 7	6	5	4	3	2		1	31	7	6	5	4	3	2	1
-					197					17.3		1997			
										1.17	70 3 3	4 3 3 3			
				and the same of	li de	age of the last	1		00			-	-	7	